UPLK010071842017

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या– 14, लखनऊ

उपस्थित– नीरज कुमार बरनवाल, (एच.जे.एस.), आई.डी.नं०– UP2744

सत्र परीक्षण संख्या– 481/2017

उत्तर प्रदेश सरकार

.................अभियोगी

बनाम

1. वीरेन्द्र तिवारी पुत्र श्री चन्द्रभान तिवारी, पता–ग्राम रामपुर, सुबेहा, बाराबंकी। (वर्तमान पता– फ़्लैट नं०–डी–1104 सरस्वती अपार्टमेंट, गोमतीनगर विस्तार, गोमतीनगर लखनऊ, उ०प्र०)।
2. संजय तिवारी पुत्र श्री चन्द्रभान तिवारी, पता–ग्राम रामपुर, सुबेहा, बाराबंकी। (वर्तमान पता– फ़्लैट नं०–डी–1104 सरस्वती अपार्टमेंट, गोमतीनगर विस्तार, गोमतीनगर लखनऊ, उ०प्र०)।
3. मो० अन्सार पुत्र स्व० इब्रेहसन, पता– म०नं०–529क/1627, पुराना खुर्रमनगर, थाना– इंदिरानगर, लखनऊ।

.................अभियुक्तगण

मु०अ०सं०– 270/2016
अन्तर्गत धारा–376D, 377, 354बी, 342/34, 323, 506 (2) भा०दं०सं०
थाना–इन्दिरानगर, जिला– लखनऊ।

दिनांक–14.08.2026

निर्णय

1. अभियुक्तगण **वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी, मो० अन्सार** का विचारण इस न्यायालय द्वारा **धारा–376D, 377, 354बी, 342/34, 323, 506(2) भा०दं०सं०** के अपराधों हेतु किया गया है।

2. **घटना का संक्षिप्त विवरण** इस प्रकार है कि **वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने दिनांक– 01.07.2016 को लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 देकर यह आरोप लगाया कि** पीड़िता, ग्राम व पोस्ट, लोनीकटरा, थाना–लोनीकटरा, जिला–बाराबंकी की निवासिनी है। वह हैदरगढ़ में साक्षी प्रापर्टीज एवं डेवलेपर्स के आफिस में प्रापर्टी के संबंध में बात करने गयी थी। वहां पर वीरेन्द्र तिवारी व संजय तिवारी जिन्होंने अपने को कंपनी का प्रमुख बताया और कहा कि हमारे आफिस आते रहो, तुम्हे अच्छी प्रापर्टी दिलायेंगें। प्रार्थिनी को विश्वास में लेकर उक्त लोगो द्वारा यह कहा गया कि लखनऊ में हमारा आफिस है, वहां पर तुम मेरे साथ चलो आप को हम अच्छी से अच्छी प्रापर्टी दिलवायेंगें। प्रार्थिनी/पीड़िता उनकी बातो का विश्वास करके उन लोगो के साथ लखनऊ आयी। यहां पर उक्त

लोग **अमराई गांव के प्लाट सं०–26 श्यामनगर कालोनी, भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर मे ले** गये **जहां पर वीरेन्द्र तिवारी द्वारा प्रार्थिनी से जबरदस्ती बुरा काम किया है**। प्रार्थिनी ने विरोध स्वरूप थाने जाने के लिये जब वहां से जाने लगी तब संजय तिवारी और वीरेन्द्र तिवारी द्वारा मान–मनौव्वल किया जाने लगा और इस बात का आश्वासन दिया गया कि धर्म पत्नी बना लूंगा। प्रार्थिनी के पास इज्ज़त जाने के बाद और कोई चारा न था, **वीरेन्द्र तिवारी द्वारा प्रार्थिनी के साथ का स्वांग रचा गया** व प्रार्थिनी उपरोक्त के मकान अमराई गांव में रहने लगी। जब प्रार्थिनी को धीरे–धीरे पता चला कि यह झूठा आदमी है, तब **मैंने विरोध किया व शादी का दबाव बनाया तो वीरेन्द्र तिवारी अपने भाई संजय तिवारी, ड्राइवर अंसार सिद्दीकी से कहकर मेरे साथ बुरा काम करवाया** तथा **प्रार्थिनी को 8 अप्रैल 2016 को घर से धक्का देकर तथा जान से मारने की धमकी दे कर निकाल दिया**। प्रार्थिनी की **मानसिक स्थित उस घटना से खराब हो गयी थी, वह घर पर रहकर अपने को नार्मल करती रही।** जब ठीक हुयी तब घटना की सूचना देने थाने पर आयी। वीरेन्द्र तिवारी मूल रूप से ग्राम–रामपुर, मजरे–जमीन हुसेनाबाद, थाना–सुबेहा, जिला–बाराबंकी का मूल निवासी है।

3. **प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण** इस प्रकार है कि **वादिनी मुकदमा/पीड़िता** की उपरोक्त लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर **दिनांक– 01.07.2016** को समय–15.30 बजे अभियुक्तगण **वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी, मो० अन्सार** के विरूद्ध चिक एफ०आई०आर०, **प्रदर्श क–5, मु०अ०सं०–270/2016, अन्तर्गत धारा–376,506 भा०दं०सं०, थाना–इंदिरानगर, जनपद–लखनऊ** में लिखी गई। जिसकी कायमी **प्रदर्श क–6** रोजनामचा आम के रपट सं०–34 पर थाना–इंदिरानगर, जनपद लखनऊ में **दिनांक–01.07.2016** को समय–15.30 बजे की गयी।

4. **प्रकरण की विवेचना** का प्रारम्भ नोवेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। दिनांक–01.07.2016 को वह थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में बतौर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। उस दिन मु०अ०सं०– 270/16, धारा–376,506 आई०पी०सी०, थाना–इंदिरानगर की विवेचना उनके द्वारा ग्रहण कर पर्चा सं०–1 किता किया गया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, **पीड़िता/वादिनी का बयान पर्चे में अंकित किया** व पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–7** तैयार किया गया। उनके द्वारा डाक्टरी रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका पर्चे मे उल्लेख किया गया एवं एफ०आई०आर० लेखक मनीष वर्मा का बयान पर्चे में अंकित किया गया। उनके द्वारा पीड़िता की डाक्टरी कराये जाने के पश्चात प्राप्त लिफाफे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने का उल्लेख पर्चे में किया गया एवं पीड़िता का 164 सी०आर०पी०सी० का बयान दिनांक 17.08.2016 को न्यायालय में कराया।

पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 सी०आर०पी०सी० प्रदर्श क–2 मे दिनांक 17.08.2016 को कथन किया कि " वीरेंद्र तिवारी ने अपना ऑफिस हैदरगढ़ चौराहे पर साक्षी डेवलपर्स के रूप में खोला था जहां वह प्लाट बेचने व खरीदने का काम करता था। सब ने बताया कि वह हैदरगढ़ चौराहे पर प्लाट दिलाने का काम करते हैं, तो मैं अकेले प्लाट के संबंध में 25, 26 मार्च 2015 को गई। प्लाट की बात की। 28 मार्च 2015 को वह पहली

बार मुझे अहिमामऊ में प्लाट दिखाने लाया। फिर वह प्लाट महंगा लगा, तो उसने बताया कि उसके घर अमराई गांव में श्याम नगर में प्लाट नंबर 26 के सामने एक प्लाट है, वह देख लो। 29.03.2015 को वह मुझे लखनऊ में घुमाते हुए प्लाट दिखाने ले गया। जब प्लाट पर पहुंचे तो शाम के 7–8 बज चुके थे। उसने कहा वापस कहां जाओगी। मेरे घर ही रुक जाओ, मैंने कहा आपके घर में कोई नहीं रहता, मुझे पॉलिटेक्निक छोड़ दो तो वह नहीं माना। जिद करने पर मैं वहीं रुक गई। फिर वही खाना खाया। **मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो देखा मेरे कपड़े उतरे पड़े हैं। दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया और कहा हम दोनों ने रात में भी तुम्हारे साथ बलात्कार किया है। दूसरा उसका भाई संजय था। मैंने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन्होंने मुझे मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी। फिर मैंने भाई को बताया। भाई ने दबाव डाला तो वीरेंद्र तिवारी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मुझसे चंद्रिका देवी मंदिर में सिंदूर भरकर शादी कर ली।** अपने साथ रखने लगा। उसका भाई उसके साथ रहता था पर वह कुछ बोलता नहीं था। वीरेंद्र मुझे कमरे में दो–दो तीन–तीन दिन बंद रखता और चला जाता था। उन दोनों की शादी हो रखी है और परिवार गांव में रहता है। मैंने विरोध किया तो वीरेंद्र व संजय तिवारी ने मुझे मारा पीटा। **मेरे शादी का दबाव बनाने पर 5 अप्रैल 2016 को वीरेंद्र ने मुझे संजय और ड्राइवर अंसार सिद्दीकी के साथ मिलकर कमरा मे बंद कर मारा। अंसार ने मेरे कपड़े फाड़े और वीरेंद्र और संजय ने बलात्कार किया। वीरेंद्र अप्राकृतिक कुकर्म भी किया।** फिर उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया फिर मैं ऑटो से पॉलिटेक्निक आई, फिर हैदरगढ़ के लिए घर गई। मम्मी को भाई को बताया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेरे घर मुझे लेकर भी जाता था, मुझे उससे जान का खतरा है।"

विवेचक द्वारा दिनांक–30.09.16 को पर्चा सं०–13 किता किया गया, जिसमें वादिनी/पीड़िता का मजीद बयान व पीड़िता की मां क्षमा तिवारी व पीड़िता के भाई विष्णु कुमार तिवारी का बयान पर्चे में अंकित कर, अभियुक्तगण वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी के विरूद्ध अपराध अं०धारा–376D, 377, 354 बी, 342/34, 323, 506 भा०दं०सं० व मो० अंसार के विरूद्ध अपराध अं०धारा–376D, 377, 354 बी, 342/34 भा०दं०सं० में **आरोप पत्र प्रदर्श क–9** न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

5. तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–अष्टम लखनऊ द्वारा दिनांक–16.11.16 को आरोप पत्र व केस डायरी के आधार पर अभियुक्तगण वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी व मो० अंसार के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० अभियोजन प्रपत्रों की समस्त प्रतियां प्राप्त करायी गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ, कक्ष सं०–32 द्वारा मामले को दिनांक–15.05.2017 को सत्र सुपुर्द किया गया जो कि सत्र परीक्षण सं०–481/17 के रूप में संचालित हुआ और इस न्यायालय को अन्तरण के द्वारा विचारण हेतु माननीय जिला न्यायाधीश के आदेश द्वारा प्राप्त हुआ।

6. तत्कालीन न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी, लखनऊ द्वारा दिनांक–10.10.2017 को अभियुक्तगण **वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी, मो० अन्सार** के विरूद्ध **धारा– 376D, 377, 354 बी, 342/34, 323, 506(2) भा०दं०सं०** के अन्तर्गत आरोप विरचित करने का आधार पर्याप्त पाते हुये आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया और विचारण की मांग की।

7. अभियोजन की तरफ से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षी के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित किये गये–

1.	वादिनी मुकदमा/पीड़िता	पी०डब्ल्यू०–1
2.	विष्णु कुमार तिवारी	पी०डब्ल्यू०–2
3.	डा० स्मिता राय, सीनियर गाइनोकोलाजिस्ट, डा० आर०एम०एल० संयुक्त चिकित्सालय	पी०डब्ल्यू०–3
4.	कां० मनीष वर्मा	पी०डब्ल्यू०–4
5.	नोवेन्द्र सिंह, विवेचक	पी०डब्ल्यू०–5
6.	एच०सी० संजय सिंह	पी०डब्ल्यू०–6

8. दौरान विचारण निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को अभियोजन साक्षियों द्वारा साबित किया गया है, जो इस प्रकार है–

1.	तहरीर	प्रदर्श क– 1
2.	बयान पीड़िता अं०धारा–164 दं०प्र०सं	प्रदर्श क– 2
3.	मेडिको लीगल परीक्षण रिपोर्ट (पीड़िता)	प्रदर्श क– 3
4.	एक्सरे रिपोर्ट	प्रदर्श क–4
5.	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क– 5
6.	जी०डी०कायमी (कार्बन प्रति)	प्रदर्श क– 6
7.	नक्शा–नजरी	प्रदर्श क– 7
8.	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्तगण	प्रदर्श क– 8
9.	आरोप पत्र	प्रदर्श क– 9

9. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण **वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी एवं मो० अन्सार** का का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक–11.07.2019 को लिया गया।

अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी द्वारा धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अपने बयान में कथन किया गया कि अभियोजन द्वारा कथित घटना गलत है। अभियुक्त ने साक्षीगण के बयानों को झूठा बताया तथा नक्शा–नजरी, आरोप पत्र को गलत बताया। **अभियुक्त ने कथन किया है कि वादिनी व समाज को मेरे विवाहित होने व बच्चेदार होने की पूरी जानकारी थी। उनके द्वारा कथन किया गया कि वादिनी मेरे विवाहित होते हुये भी मुझसे शादी करना चाहती थी, मना करने पर सेविका या नौकरानी के रूप में घर में रहना चाहती थी, जिससे मैंने साफ मना कर दिया।** मैं पीड़िता के भाई

को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। **विवेचक ने वादिनी के साथ साजिश करके तीन बार उसका बयान धारा–161 सी०आर०पी०सी० लिखाकर झूठी विवेचना की।** वादिनी द्वारा विवेचक से मिलकर झूठा आरोप पत्र बनाकर भेजा गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि पीड़िता/वादिनी 35–36 वर्ष की प्रौढ़ राजनैतिक युवती है। वह अति खुले एवं आधुनिक विचारो की महिला है। मेरा परिवार देखकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहती थी। यहां तक कि मेरे घर में सेविका/नौकरानी बना कर रख लो, यह भी कहती थी। मानसिक रूप से विक्षिप्त सी थी। पीड़िता एक बार जमीन के बारे में बात करने मेरे परिवार के सामने आयी थी। उसके बाद कहने लगी मैं तुमको पसंद करती हूं। जीवन भर साथ रख लो। मैंने कहा कि मैं विवाहित बच्चो वाला आदमी हूं, यह संभव नहीं है, तो कतिपय कारणों से ब्लैकमेल का प्रयास करने लगी। मुझे धमकी दी कि कांग्रेस अध्यक्ष हूं, जल्दी देख लूंगी और निरीक्षक रामपाल यादव से मिलकर सुनियोजित तरीके से यह मामला बनाया गया, मैं बेकसूर हूं। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध चलने वाले मुकदमें को झूठा बताया तथा स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया है।

अभियुक्त संजय तिवारी द्वारा धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अपने बयान में कथन किया गया कि अभियोजन द्वारा कथित घटना गलत है। अभियुक्त ने साक्षीगण के बयानों को झूठा बताया तथा नक्शा–नजरी, आरोप पत्र को गलत बताया। अभियुक्त ने कथन किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से वादिनी को जानता तक नहीं है। पीड़िता ने मनगढ़न्त बयान झूंठा फंसाने के लिये दिया है, मैं अलग रहता हूं। **मैं वीरेन्द्र तिवारी का सगा भाई हूं, जो एक सम्मानित नागरिक है। उसकी छवि, प्रतिष्ठा धूमिल करने एवं ब्लैकमेल करने के लिये व भाई पर दबाव बनाने के लिये केस किया। असफल होने पर अपने रसूख से यह झूठा मुकदमा चलाया। वादिनी राजनैतिक प्रभाव रखती है।** वादिनी अति स्वच्छन्द पूर्ण वयस्क महिला है, भाई को अपने चंगुल में फंसाकर ब्लैकमेल करना चाहती थी। मैने अपने भाई के सत्य में साथ दिया और वादिनी के कुकृत्यों का विरोध किया। मेरा अलग व्यवसाय है और वीरेन्द्र से अलग अपनी बीवी–बच्चो के साथ रहता हूं। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध चलने वाले मुकदमें को झूठा बताया तथा स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया है।

अभियुक्त मो० अंसार द्वारा धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अपने बयान में कथन किया गया कि अभियोजन द्वारा कथित घटना गलत है। अभियुक्त ने साक्षीगण के बयानों को झूठा बताया तथा नक्शा–नजरी, आरोप पत्र को गलत बताया। अभियुक्त ने कथन किया है कि मैंने कभी ड्राइवर के पद पर काम नहीं किया है। मैं वादिनी को जानता तक नहीं हूं। वीरेन्द्र तिवारी से जान पहचान होने एवं कोर्ट आने–जाने के दौरान पहचानना सामान्य बात है। वीरेन्द्र तिवारी से जान–पहचान होने के कारण मुझे झूठा नामित कर दिया। मैं बेकसूर हूं, मैं कभी वीरेन्द्र तिवारी या संजय कुमार का ड्राइवर नहीं रहा हूं। मैं अपना अलग काम करता हूं। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध चलने वाले मुकदमें को झूठा बताया तथा स्वयं को निर्दोष बताने का कथन किया है।

10. बचाव पक्ष की ओर से **DW–1 प्रदीप कुमार द्विवेदी** ने सशपथ बयान किया कि वीरेन्द्र तिवारी मेरे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। मेरा कभी कभार वीरेन्द्र के घर आना–जाना होता है।

लखनऊ, बाराबंकी मे जमीन का काम करते हैं। मैं पीड़िता उम्र 35–40 वर्ष को जानता हूं। उससे मेरी एक–दो बार मुलाकात है। मुझे वीरेन्द्र तिवारी और पीड़िता लोनीकटरा और त्रिवेदीगंज के बीच में मार्च 2016 में दिखे थे। मैं रूका था। मेरी बातचीत हुयी थी। पीड़िता, वीरेन्द्र तिवारी पर शादी के लिये दबाव डाल रही थी और सम्पत्ति का दबाव बना रही थी। वीरेन्द्र और पीड़िता एक ही जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं। इन दोनो के निवास 25–30 किलोमीटर की दूरी पर है। पीड़िता तेज नेता टाइप की महिला थी। वह बातो से स्वतंत्र विचारों की आधुनिक महिला बातचीत से लगी। वीरेन्द्र तिवारी आज न्यायालय मे है, मुझे पता है। उनके साथ गलत हुआ इसलिये मैं अपनी इच्छा से सही बात कहने आया हूं।

जिरह द्वारा ए०डी०जी०सी०– वीरेन्द्र तिवारी को मैं करीब सात वर्षों से जानता हूं। यह राजनैतिक क्षेत्र में है, जमीन का काम करते हैं। अब बी०जे०पी० से जुड़े हैं। जमीन का काम लखनऊ में देखते हैं, मिलने वाले को जमीन दिखायी थी, वो सीतापुर रोड पर थी। बातचीत हुयी थी, जिसको लेना था पसन्द नहीं आया, कितने का था, मुझे ध्यान नहीं है। पीड़िता से वीरेन्द्र के साथ हैदरगढ़, लोनीकटरा हाइवे पर देखकर बातचीत हुयी थी। मैं अपनी रिश्तेदारी में हैदरगढ़ जा रहा था। मैं लगभग 10 मिनट रूका था, मेरी पीड़िता से नहीं बल्कि वीरेन्द्र की पीड़िता से बात हो रही थी। मैं पीड़िता को पहचान सकता हूं। उसके बाद मेरी पीड़िता से मुलाकात नहीं हुयी। मैं यह जानता हूं कि पीड़िता ने वीरेन्द्र तिवारी के ऊपर 376 आई०पी०सी० का फर्जी केस किया है। मैं अपने विवेक और अपनी जानकारी पर बता रहा हूं। वीरेन्द्र तिवारी हाथ जोड़े थे। पीड़िता इनसे तेज आवाज में बोल रही थी। पीड़िता क्या करती है, मुझे जानकारी नहीं है। पीड़िता के Dispute का मुझे नहीं पता है। यह कहना गलत है कि मैं वीरेन्द्र तिवारी के कहने पर बयान दे रहा हूं। जो उस दिन देखा था, उसी के आधार पर बता रहा हूं। यह कहना गलत है कि मैं वीरेन्द्र तिवारी के साथ आया हूं। मैं अपनी गाड़ी से अलग आया हूं। यह कहना गलत है कि वीरेन्द्र से भाजपा पार्टी से फायदा प्राप्त कराने के कारण आज बयान देने आया हूं।

11. **अभियोजन की ओर** से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगणो द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में पीड़िता से बारी–बारी मैथुन गठित कर सामूहिक बलात्कार कारित किया गया। पीड़िता ने अपने बयान से अभियुक्तगण द्वारा उसको अच्छा प्लाट दिलाने का आश्वासन देकर अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्याम नगर कालोनी शहीद भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में ले जा कर उसकी इच्छा एवं सम्मति के बिना सामान्य आशय के अग्रसरण में बारी–बारी मैथुन गठित कर सामूहिक बलात्कार कारित करना साबित किया है। यह भी साबित किया है कि अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी ने पीड़िता के साथ प्रकृति विरूद्ध बलात्संग कारित किया। अभियुक्तगणो ने वादिनी मुकदमा/ पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़े, उसको जबरन निरूद्ध रखा, वादिनी मुकदमा/पीड़िता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन

अभियुक्तगणो के विरूद्ध अपना मामला युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण आरोपित आरोपो से दोषसिद्ध किये जावे।

12. **बचाव पक्ष की ओर से** यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगणो को पीड़िता द्वारा झूंठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पीड़िता के तहरीर मे कथित घटना, 164 दं०प्र०सं के बयान में कथित घटना और उसके मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान मे गम्भीर विरोधाभास है। इससे यह साबित होता है कि वह झूठ बोल रही है। अभियोजन साक्षियों के बयानो में गंभीर विरोधाभास है। पीड़िता के मेडिकोलीगल परीक्षण मे उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया है, न ही उसके पैथोलाजी रिपोर्ट में वीर्य की उपस्थिति पायी गयी है। पीड़िता की उम्र 35 वर्ष से अधिक थी। समस्त साक्षियों के बयानो से व मेडिकल रिपोर्ट से अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अभियोजन के ऊपर यह दायित्व होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करे और यदि कोई संदेह होता है तो उस संदेह का लाभ अभियुक्त को प्राप्त होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के बयानो से अभियुक्तगणो के विरूद्ध मामला युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। मामला संदेहास्पद है। अतः उसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है और उन्हे दोषमुक्त किया जावे।

बचाव पक्ष की ओर से निम्न विधिव्यवस्थाये अपने बचाव मे प्रस्तुत किये गये है–

1.Naim Ahamed v. State (NCT of Delhi) 2023 Cri. L.J. 2785 Para 14,17,19,21

2. Sunil Kumar Sambhudayal Gupta and others versus State of Maharashtra Criminal Appal 891 of 2004 Para 15,17,30,31

3. Uday vs State of Karnataka 2003 SCC (Cri) 775 Para 21

4. Maheshwar Tigga vs State of Jharkhand. 2021 Cri. L. J. 119 Para 10.14

5. Rai Sandeep alias Deepu v State of NCT of Delhi

6. B.N. John vs State of U.P. and another SLP (Criminal) no. 2184 of 2024

7. Jagat Pal and others versus State of UP Criminal Appeal 612/ 1996 Para 17,20,22,23,24,28

8. State (GNCT of Delhi) vs Vipin@ Lalla

9. Mahesh Damu Khare versus State of Maharashtra and another Criminal Appeal 4326/2018 Para 4,14,17,18,19,24

10. Jiyaullah versus State of UP and another Para 5,6,7,8,14

11. Sonu @ Subhash Kumar versus State of Uttar Pradesh and another 3,4,7,,8,9,11,12

12. Pramod Suryabhan Pawar versus State of Maharashtra and another 2019 (9) SCC 608

13. Shivashankar @ Shiva versus State of Karnataka and another

14. Dr. Dhruvaram Murlidhar Sanar versus The State of Maharashtra and others Criminal Appeal No. 1443 of 2018

15. Tilak Raj versus State of Himachal Pradesh Criminal Appeal 13/2016

16. Kaini Rajan versus State of Kerala Cri Appeal 1467/2013

17. Deepak Gulati versus State of Haryana (2013) 7 SCC 675

18. Hari Majhi versus State Cri Appeal 432/1987

19. N. Vijay Kumar versus State of Tamilnadu

13. न्यायालय ने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया।

14. न्यायालय के विचार से प्रकरण को अन्तिम रूप से निर्णीत करने के लिए निम्नलिखित विनिश्चायक बिन्दु है–

I– क्या विवेचक व अन्य पुलिस कांस्टेबल के द्वारा तैयार किये गये पुलिस प्रपत्रो को उनके द्वारा साबित कराया गया है?

II– क्या पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट की प्रमाणिकता साबित है?

III– क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को अच्छा प्लाट दिलाने का आश्वासन देकर अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्याम नगर कालोनी शहीद भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में ले जा कर उसकी उसकी इच्छा एवं सम्मति के बिना अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में बारी–बारी मैथुन गठित कर सामूहिक बलात्कार कारित किया गया, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–376 (डी)** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

IV– क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्यामनगर कालोनी, शहीद भगत सिंह, वार्ड थाना–इंदिरानगर, लखनऊ मे प्रकृति विरूद्ध बलात्संग कारित किया गया, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–377** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

V– क्या अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्त मो० अंसार के साथ मिलकर उपरोक्त निवास पर द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़ दिये गये, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–354 बी** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

VI– क्या अभियुक्तगण ने संयुक्त रूप से सामान्य आशय की पूर्ति के लिये वादिनी मुकदमा/पीड़िता को अपने उपरोक्त पते अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्याम नगर कालोनी शहीद भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में जबरन निरूद्ध रखा गया, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–342/34** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

VII– क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–323** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

VIII– क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्याम नगर कालोनी शहीद भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में जान से मारने की धमकी देकर

आपराधिक अभित्रास कारित किया, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा– 506** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

15. चूंकि अभियोजन **धारायें–376D,377,354 बी,342/34,323 एवं 506** से संबंधित है, अतएव उनका सन्दर्भ देना समीचीन होगा।

375. A man is said to commit "Rape" if he

(**a**) penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(**b**) inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being in penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(**c**) manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other persons; or

(**d**) applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person. Under the circumstances falling under any of the following seven descriptions:

First.- Against her will.

Secondly.- Without her consent.

Thirdly.- With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt.

Fourthly.- With her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

Fifthly.- With her consent when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent.

Sixthly.- With or without her consent, when she is under eighteen years of age.

Seventhly. - When she is unable to communicate consent.

Section 376D- Where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a comman intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

Section 377- Unnatural offences.- Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Section 354B- Assault or use of criminal force to woman with itent to disrobe- Any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Section 342- Punishment for wrongful confinement- Whoever wrongfully confines any person, shall be with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Section 34- Acts done by several persons in furtherance of common intention- When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.

Section 323- Punishment for wrongful confinement- Whoever, except in the case provided for by Section 334, voluntarily causes hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Section 503- Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation.

Explanation- A threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person is interested, is within this section.

Section 506- Punishment for criminal intimidation- Whoever commits the offence of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

if threat be to cause death or grievous hurt, etc- and if the threat be to cause death or grievous hurt, or to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offence punishable with death or (imprisonment for life), or with imprisonment for a term which may extend to seven years, or to impute unchastity to

a woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

अभियोजन को अभियुक्तगणो के विरूद्ध आरोपित उपरोक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना है।

16. <u>विनिश्चायक बिन्दु संख्या 01</u>– क्या विवेचक व अन्य पुलिस कांस्टेबल के द्वारा तैयार किये गये पुलिस प्रपत्रो को साबित कराया गया है?

अभियोजन **साक्षी सं०–4 मनीष वर्मा** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक–01.07.2016 को मैं थाना इंदिरानगर में कांस्टेबल पद पर तैनात था। उस दिन वादिनी पीड़िता पुत्री स्व० रामलाल तिवारी, ग्राम व पोस्ट–लोनीकटरा, थाना व जिला बाराबंकी के लिखित तहरीर पर शब्द ब शब्द कम्प्यूटर पर अक्षरशः टंकण पर अंकित करके प्रिंट आउट निकाल कर चिक किता की थी, जो मुकदमा अ०सं०–270/2016 समय 15.30 बजे मुकदमा अ०सं० व धारा–376,506 आई०पी०सी० बनाम वीरेन्द्र तिवारी आदि की चिक किता की थी, जो कागज सं०– अ5/1 व 5/2 मूल रूप से संलग्न पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। इस मुकदमे की कायमी रोजनामचा रपट सं०–34 समय 15.30 बजे पर मूल के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया में कांस्टेबल मोहर्रिर संजय सिंह के लेख व हस्ताक्षर में कायमी किता की थी। संजय सिंह मेरे साथ थाने पर तैनात रहे है, लिखते–पढ़ते देखा है, लेख व हस्ताक्षर पहचानता हूं। कायमी पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

जिरह सभी अभियुक्तगणों की ओर से– मेरी भर्ती वर्ष 2005 में हुयी थी। मैंने तहरीर को कम्प्यूटर मे टाइप कर दिया था। पीड़िता ने अपना पता तहरीर में अमराई गांव निवास स्थान लिखा है। मैंने एफ०आई०आर० के H कालम में वर्तमान पता या स्थायी पता दोनो बाराबंकी का लिखा है। अमराई गांव का पता नहीं लिखा है। मैंने तहरीर लिखते वक्त वादिनी से कोई सवाल–जवाब नहीं किया। तहरीर से नहीं स्पष्ट है कि वादिनी, अभियुक्त के साथ कितने दिन, कितने महीने और कितने साल संबंधो में रही। **तहरीर में वादिनी ने अपने को बंधक बनाकर रखने की बात नहीं लिखी है। धमकी में क्या शब्द थे यह तहरीर में नहीं लिखा है।** इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, जी०डी० मेरे हाथ की लिखी नहीं है, मैं नहीं बता सकता कि वादिनी किसके साथ आयी थी। **वादिनी की मां और भाई ने जो उसके संरक्षक थे वादिनी की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे थाने में नहीं लिखायी।** मैंने वादिनी से एफ०आई०आर० लिखते समय यह नहीं पूछा कि वह कितने दिन अमराई गांव साथ में रही। वीरेन्द्र तिवारी द्वारा प्रार्थिनी के साथ स्वांग रचने की बात तहरीर में लिखी है। " वह प्रार्थिनी उपरोक्त के मकान अमराई गांव में रहने लगी।" ऐसा एफ०आई०आर० में लिखा है। पीड़िता को मैंने देखा है। पीड़िता की उम्र, देखकर व पूछकर मैंने एफ०आई०आर० में नहीं लिखा है। मैं नहीं बता सकता हूं कि उसकी उम्र तीस–पैंतीस वर्ष थी या नहीं।

अभियोजन **साक्षी सं०–5 नोवेन्द्र सिंह, विवेचक** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक–01.07.2016 को मैं थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में बतौर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उस दिन मु०अ०सं०– 27/16, धारा–376,506 आई०पी०सी०, थाना–इंदिरानगर की विवेचना

मेरे द्वारा ग्रहण कर **पर्चा सं०–1** किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, **पीड़िता वादिनी पीड़िता का बयान** पर्चे में अंकित किया व उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया। नक्शा–नजरी मूल रूप से पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। दिनांक–02.07.2016 को पर्चा सं०–2 किता किया, जिसमें डाक्टरी रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका पर्चे मे उल्लेख किया। दिनांक–08.07.2016 को पर्चा सं०–3 किता किया, जिसमें एफ०आई०आर० लेखक मनीष वर्मा का बयान पर्चे में अंकित किया। दिनांक–18.07.16 को पर्चा सं०–4 किता किया, जिसमें एक्सरे रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका उल्लेख पर्चे में किया। दिनांक–23.07.2016 को पर्चा सं०–5 किता किया। जिसमें पीड़िता की डाक्टरी कराये जाने के पश्चात प्राप्त लिफाफे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने का उल्लेख पर्चे में किया। दिनांक–08.04.2016 को पर्चा सं–6 किता किया, जिसमें अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानो पर दबिश दिये जाने का उल्लेख पर्चे में किया। **दिनांक– 19.08.2016 को पर्चा सं०–7 किता किया, जिसमें पीड़िता का धारा 164 सी०आर० पी०सी० का बयान न्यायालय में कराया गया और अवलोकन कर उसका उल्लेख पर्चे में किया।** दिनांक–04.09.2016 को पर्चा सं0–8 किता किया, जिसमें अभियुक्त की तलाश की गयी दस्तयाब न होने का उल्लेख पर्चे में किया। **दिनांक–18.05.2016 को पर्चा सं०–9 किता किया जिसमें वादिनी पीड़िता का मजीद बयान का उल्लेख पर्चे में किया। पीड़िता के बयान की सी०डी० पर्चे के साथ संलग्न किये जाने का उल्लेख किया।** दिनांक–20.09.2016 को पर्चा सं०–10 किता किया, जिसमे अभियुक्त की सुरागरसी–पतारसी दस्तयाब न होने का उल्लेख पर्चे में किया। दिनांक–24.09.16 को पर्चा सं०–11 किता किया, जिसमें अभियुक्त वीरेन्द्र और संजय तिवारी और मो० अंसार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार कर उनके बयान लेकर पर्चे में उल्लेख किया, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया, जो कागज सं०–अ 7/24 मूल रूप से संलग्न पत्रावली पर मौजूद है। दिनांक–25.09.2016 को पर्चा सं०–12 किता किया, जिसमें अशोक कुमार निगम व मो० इलियास व डाक्टर स्मिता राय का बयान पर्चे में अंकित किया। **दिनांक–30.09.16 को पर्चा सं०–13 किता किया, जिसमें वादिनी पीड़िता का मजीद बयान** व पीड़िता की मां क्षमा तिवारी व पीड़िता का भाई विष्णु कुमार तिवारी का बयान पर्चे में अंकित कर व अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी व मो० अंसार के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया। आरोप पत्र कागज सं०– अ 4/1 से लेकर अ 4/4 मूल रूप से पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया।

जिरह द्वारा अभियुक्तगण संजय व अन्सार की ओर से– मुझे एक जुलाई 2016 को विवेचना प्राप्त हुयी थी और मेरे ही द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया था। **दौरान विवेचना मेरे द्वारा पीड़िता पी०डब्लू०–1 का 161 सी०आर०पी०सी० में बयान तीन बार लिखा गया।** दिनांक–01.07.2016 को मेरे द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। पेपर सं०– अ 6/3 देखकर कहा कि यह लोग अमराई गांव आये तो सिर्फ वीरेन्द्र तिवारी ने जबरदस्ती मेरे साथ बुरा काम किया। **संजय तिवारी द्वारा बुरा काम व बलात्कार करने का कोई साक्ष्य अथवा बयान पीड़िता पी०डब्लू०–1 द्वारा नहीं**

कहा गया है, न किसी प्रकार के गर्भ गिरने व गिराने की बात पीड़िता द्वारा नहीं बतायी गयी है। पीड़िता ने अपने बयान में **आठ अप्रैल 2016 को घर से जबरन निकालने की बात** कही गयी है। **दिनांक–18.09.2016 को अपने दूसरे 161 सी०आर०पी०सी० के बयान में यह कहा है कि वीरेन्द्र तिवारी मुझसे शादी को तैयार हो गया और मुझसे चन्द्रिका देवी मंदिर में सिंदूर भरकर शादी कर ली और अपने साथ रखने लगा। दिनांक–30.09.16 को मैंने पीड़िता का तीसरा बयान दर्ज किया।** उसमें पीड़िता ने मुझे बताया कि लगभग तीन महीने बाद मैं जीने से गिर पड़ी थी, तो मुझे ब्लीडिंग होने लगी थी और लगभग तीन महीने का बच्चा खराब हो गया था, मैने न किसी को बताया, न मैंने इलाज कराया। <u>**यह बात सही है कि दिनांक–01.07.2016 को पहला बयान दर्ज होने के बाद सैंतालीस दिन बाद दिनांक–17.08.16 को 164 दं०प्र०सं० का बयान दर्ज हुआ। कतिपय कारणवश अथवा उसके न मिलने के कारण बयान दर्ज नहीं हुए।**</u> दिनांक–19.08.16 को पर्चा–7 में 164 सी०आर०पी०सी० के बयानो का अवलोकन मैंने किया है तथा 164 सी०आर०पी०सी० के बयान को हुबहू उतार दिया है। जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, उसको मैंने केस डायरी में अंकित किया है। <u>**उसमें उसने बताया था कि पीड़िता बेहोश हो गयी थी और दोनो मुल्जिमानो के बताने पर पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। पीड़िता को बलात्कार का न कोई ज्ञान है, न कोई आभास है।**</u> प्रदर्श क–7 देखकर कहा कि इस मकान में पीड़िता और वीरेन्द्र तिवारी रहते थे, वह मकान वीरेन्द्र तिवारी के स्वामित्व का है। गवाह ने फिर कहा कि मुझे नही जानकारी है कि यह मकान वीरेन्द्र तिवारी का है या संजय तिवारी का है, **जब मैं घटनास्थल पर गया था, तब मकान में ताला बंद था। मैं मकान के अन्दर नहीं जा पाया, जो क्रास का चिन्ह मैंने बनाया है, वह वादिनी के कहने पर बनाया है।** <u>**मैंने मोहल्ले के दो लोगो का बयान लिया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता व वीरेन्द्र तिवारी इसमें रहते थे। मेरे द्वारा कोई आपत्तिजनक वस्तु सम्पूर्ण विवेचना में नहीं बरामद की गयी।**</u> दौरान सम्पूर्ण विवेचना पीड़िता का मोबाइल फोन भी जांच हेतु अपने कब्जे में नहीं लिया, न ही मेरे द्वारा कोई मोबाइल नंबरो की जांच की गयी। पीड़िता के किसी प्रकार के कोई कपड़े वगैरह मेरे कब्जे में नहीं लिये गये। <u>दौरान तफ्तीश अन्सार द्वारा पीड़िता से कोई भी बलात्कार करने का न समय है, न पुष्टि है। यह कहना सही है कि पीड़िता ने मुझे यह बयान दिया था "वहां पर लगभग तीन महीने बाद मुझे ब्लीडिंग होने लगी........ न ही मैंने कोई इलाज कराया।" यह बयान मैंने पीड़िता के कहने पर लिखा था।</u> यदि माननीय न्यायालय मे उसने इंकार किया है, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि संजय तिवारी के विरूद्ध साक्षियों के अभाव में मैंने प्रभाव वश संजय मुल्जिम एवं अंसार मुल्जिम के विरूद्ध झूठी चार्जशीट दाखिल कर दी।

जिरह द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी की ओर से– यह मुकदमा मेरी गैर मौजूदगी में कायम हुआ। **तहरीर में घटना का दिनांक व समय नहीं लिखा है। वादिनी ने अपना पता अमराई गांव लिखवाया है।** पीड़िता पीड़िता और वीरेन्द्र तिवारी दोनो बाराबंकी निवासी है। यह बात वादिनी ने मुझे बतायी थी कि वादिनी वीरेन्द्र तिवारी के साथ लिविन रिलेशन में रह रही थी तथा पीड़िता व वीरेन्द्र तिवारी को टीका व दक्षिणा पीड़िता की मां करती थी। <u>**पीड़िता की उम्र लगभग पैंतीस–सैंतीस**</u>

<u>साल थी और वह अविवाहित थी।</u> वादिनी ने अपनी तहरीर में स्वयं लिखा है कि वीरेन्द्र तिवारी ने शादी का स्वांग रचाया और उसके बाद वीरेन्द्र तिवारी के अमराई गांव मकान में रहने लगे। **<u>वादिनी ने दो–ढ़ाई वर्ष वीरेन्द्र तिवारी के अमराई गांव में संबंधो में साथ रहना बताया।</u>** वादिनी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, कभी जमीन से संबंधित कभी कोई अभिलेख देखने को नहीं मिला। **<u>वादिनी ने यह बात बतायी थी कि वीरेन्द्र तिवारी स्वयं गाड़ी चलाकर उसे मायके छोड़कर स्वयं अपने घर चले जाते थे और लौटते समय वादिनी के मायके में भोजन कर वादिनी को लेकर वापस लखनऊ आ जाते थे।</u>** मेडिकल प्रपत्र में वादिनी के एनेस एंड माउथ निल है। **<u>यह कहना सही है कि लिविंग रिलेशन में 342 के अपराध का साक्ष्य जब वादिनी वीरेन्द्र तिवारी के साथ स्वयं मैके व मैके से वापस आती हो तो 342 का अपराध नहीं बनता है।</u>** <u>जितने दिन वादिनी वीरेन्द्र तिवारी के लिविंग के संबंध में थी तब तक पीड़िता के भाई अथवा माता ने कोई एफ०आई०आर०, शिकायत वीरेन्द्र तिवारी के विरूद्ध नहीं लिखायी, क्योंकि उन्हें पीड़िता द्वारा अपने और वीरेन्द्र तिवारी लिविंग रिलेशनसिप वाली बात परिवार को बता दी। यह सही है कि कोई चोट पीड़िता के शरीर पर नहीं मिली।</u> **जो कथन पीड़िता का दर्ज है, उस पर पीड़िता के हस्ताक्षर और निशानी अंगूठा, उस पेज पर नहीं है, यह शरीर है कि पीड़िता के मेडिकल में कोई अप्राकृतिक यौन संबंध की बात नहीं है। मेडिकल रिकार्ड में घटना तीन माह पुरानी लिखायी गयी। पीड़िता ने जो आरोप अभियुक्त पर अपनी चोटो को कारित करने की बतायी थी, वह पैरा–16 में समस्त इक्जामीनेशन में लिखा है<u> कि सिर से लेकर पूरे शरीर में कहीं पर कोई चोट या खरोंच नहीं पायी गयी</u>** तथा कालम 18 में आन्तरिक परीक्षण में A इन्ट्री नार्मल ओल्ड टोन लिखा है तथा एनेल सरफेस को नार्मल होना लिखा है तथा पैरा –19 में सामान्य व्यवहार लिखा है। कोई डी०एन०ए० टेस्ट रिपोर्ट दौरान विवेचना मुझे प्राप्त नहीं हुयी। आरोप पत्र एफ०आई०आर० व 164 सी०आर०पी०सी० के बयान व गवाहान के बयान पर मैंने आरोप पत्र दाखिल किया। **यह कहना सही है कि <u>मैंने पीड़िता, उसकी मां, उसके भाई तथा पड़ोसियों के बयान कि वीरेन्द्र तिवारी व पीड़िता लिविंग रिलेशनसिप मे सालो से हैं,</u> मैने आरोप पत्र दाखिल कर दिया।**

अभियोजन **साक्षी सं०–6 संजय सिंह** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक– 01.07.2016 को मैं थाना इंदिरानगर (लखनऊ) पर बतौर कां० मोहर्रिर नियुक्त था। उस दिन वादिनी पीड़िता पुत्री स्व० श्री श्यामलाल तिवारी ग्राम व पोस्ट लोनीकटरा, जिला–बाराबंकी की एक लिखित तहरीर के आधार पर इस मुकदमें की कायमी रोजनामचा आम के रपट सं०–34, समय 15.30 मूल के साथ कार्बन लगाकर मु०अ०सं०–270/16, धारा–376, 506 आई०पी०सी० की कायमी किता की थी। कायमी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो कागज सं०– अ 8/3 है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श अंकित है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अपनी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है– प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद जी०डी० अंकित की गयी। एफ०आई०आर० में घटनास्थल स्पष्ट नहीं है। प्रश्न पर गवाह ने कहा क्यों नहीं लिखा है, लिखा है। जिसमें प्लाट सं०–26 श्यामनगर कालोनी, शहीद भगत सिंह वार्ड अमराई गांव चौकी,

तकरोही क्षेत्र लिखा है। मुल्जिमान के घर का पता सुबेहा बाराबंकी लिखा है। स्वयं कहा कि तहरीर के अनुसार लिखा है।

प्रश्न 1– तहरीर में वीरेन्द्र तिवारी से विवाह की बात लिखी है या बतायी है।

उत्तर– जो वादिनी ने तहरीर में लिखकर दिया वही प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया है।

प्रश्न–2 एफ०आई०आर० लिखते समय या जी०डी० लिखते समय वादिनी ने वैवाहिक संबंध के बारे में कोई प्रश्न आप लोगो ने किया।

उत्तर– ध्यान नहीं है।

प्रश्न–3 दिनांक–08.04.2016 को घटना का दिन बताने से पूर्व कितने साल महीने दिन ये दोनो साथ रहे थे, यह बात कहीं लिखी है या नहीं।

उत्तर– वादिनी ने जो तहरीर में लिखकर दिया था, उसी के आधार पर मैंने जी०डी० में लिखा है। जी०डी० में तस्किरा मजरूबी व अस्पताल भेजना लिखा है। चिट्ठी मजरूबी लिखी गयी। डाक्टर को भेजा गया। पूछने पर कहा वादिनी के शरीर पर चोटो के संबंध में लिखने का ध्यान नहीं है। यह सही है कि मुकदमा मेरी मौजूदगी में कायम हुआ था।

इस प्रकार अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षियों पी०डब्लू०–4,5 एवं पी०डब्लू०–6 के बयानो से अभियोजन प्रपत्र सम्यक रूप से साबित कराये गये हैं। तदनुसार विनिश्चायक बिन्दु **I** निस्तारित किया जाता है।

17. <u>विनिश्चायक बिन्दु संख्या II–</u> क्या पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट की प्रमाणिकता साबित है?

अभियोजन **साक्षी सं०–3 डा० स्मिता राय, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक–01.07.2016 को मैं उपरोक्त अस्पताल में उपरोक्त पद पर तैनात थी। उस दिन मेरे द्वारा पीड़िता पुत्री स्व० श्यामलाल तिवारी, निवासी– पोस्ट व विलेज–लोनीकटरा, जिला–बाराबंकी, हाल पता– अमराई गांव, थाना– इंदिरानगर, लखनऊ **पीड़िता जन्मतिथि दिनांक–21.01.1978, उम्र 38 साल पीड़िता द्वारा बतायी गयी थी।** दिनांक–01.07.16 को 4.50 पी०एम० पर पीड़िता को लाया गया था और परीक्षण 4.55 पी०एम० पर शुरू किया गया था, जिसे कांस्टेबल–1387 महिला कांस्टेबल अनुराधा सिंह, अ०सं०–270/16, थाना– इंदिरानगर, लखनऊ द्वारा शिनाख्त हस्ताक्षर कराये गये थे। पीड़िता पूरी तरह से होशो–हवास में थी। पीड़िता के अंदर कोई डिसएबिलिटी नहीं थी। पीड़िता से लिखवाया गया था और उसने अपने हस्ताक्षर बनाकर लिखित स्वीकृति दी थी कि वह जांच कराने के लिये तैयार है। उसका निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर मेरे द्वारा अभिलेख प्रपत्र पर प्रमाणित किया गया था। पहचान चिन्ह एक छोटा काला तिल करीब डेढ़ सेमी० नाक के दाहिने नथुने के 1.5 सेमी० चेहरे पर मौजूद था। पीड़िता का दांया व बांया अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया था। मासिक धर्म पन्द्रह वर्ष की आयु से आ रहा था। अन्तिम माहवारी दिनांक–06.06.16 को आना बताया गया था। साइकल्स रेग्यूलर थे, 28–30 और दो से तीन दिन तक रहता था। **पीड़िता का एक वर्ष पहले एक अबार्सन हो चुका है और टीके लगे थे या नहीं मुझको जानकारी नहीं है।** जिस दिन घटना की रिपोर्ट

की गयी थी। उस दिन तारीख दिनांक–01.07.2016 थी। ड्यूरेशन 6 माह से ज्यादा थी। एपीसोड क्रोनिक थे और 6 महीने से ज्यादा के थे। पीड़िता के अनुसार जिम्मेदार लोग पुरूष वीरेन्द्र और संजय थे। जिनकी उम्र तीस से पैंतीस साल के बीच थी। पीड़िता से कोई संबंध नहीं था। **पीड़िता के अनुसार दिनांक–20.03.15 को वीरेन्द्र व संजय के साथ अमराई गांव जमीन देखने आयी और वापस चली गयी।** अगले दिन जब वह जमीन देखने वापस आयी तो दोनो लड़को ने उसके गलत काम किया फिर उन लोगो ने उससे माफी मांग ली और शादी का वादा किया और वह वीरेन्द्र के साथ रहने लगी। दिनांक–05.04.2016 को वीरेन्द्र ने संजय और अंसार के साथ पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया और संजय ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, अंसार ने उसके कपड़े फाड़ दिये और उसको गलत लाइन में डालने की धमकी दी, उसको पीट कर भगा दिया।

फिजीकल वाइलेन्स– वाइलेंस बाइटिंग, ड्रैगिंग, किकिंग व पुलिंग हेयर और बैगिंग हेड इमोशनल एबूज एंड वाइलेन्स यूज टू टेरराइज डराते व धमकाते थे तथा भाई को जान से मारने की धमकी देते थे और वीरेन्द्र पीड़िता से शादी करने के लिये कहता था और पीड़िता के अनुसार उसने बताया कि पीड़िता ने उसके ऊपर कोई चोट या निशान नहीं छोड़े। **पीड़िता के अनुसार वजाइना में Penetration हुआ था, अप्राकृतिक Penetration नहीं हुआ।** मैसट्रीपेशन आफ एसीलेन्ट बाई सरवाइवर फोर्सड था, किसिंग, लिकिंग और सकिंग हुआ। टचिंग, फाउंडिंग हुआ था। एक महीने तक लुबरीकेन्ट हुआ था, वैसलीन यूज करना कहा गया। हिस्ट्री में लिखा है, कपड़े उसने अंदर व बाहरी वाले बदल लिये थे, नहा चुकी थी। घटना लगभग तीन महीने बीत चुके थे।

जनरल परीक्षण– पल्स, बी०पी० सामान्य था। **उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं था।** एक्सटर्नल जेनेटेरिया नार्मल था। हाइमन ओल्ड व टोन्ड था। सिस्टमिक इक्जामीनेशन नार्मल था। बोथ ब्रेस्ट डेवलप थे। ब्लड सैम्पल ब्लड फार HIV, BDRL HBLSAG लिया गया था और एक्सरे के लिये एडवाइज की गयी थी। स्कल्प हेयर, नेल्स, स्क्रीनिंग एंड क्लिपिंग ओरल स्वैब, ब्लड फार डी०एन०ए० एकत्रित करके एफ०एस०एल० के लिये भेज दिया गया था। पीड़िता के प्यूबिक हेयर नहीं थे। छोटे–छोटे ग्रोथ थे, कटिंग करके एफ०एस०एल० भेज दिया। वजाइनल स्वेब, वलगम स्वैब, वजाइनल स्मेयर, वजाइनल वाशिंग इक्टठा करके एफ०एस०एल० और आर०एम०एल० पैथालाजी भेज दिया गया था। दिनांक–01.07.2016 को 5.45 पी०एम० पर परीक्षण समाप्त किया गया था। कुल चौदह पन्ने मूल प्रति मे तैयार करके फीमेल कांस्टेबल को दे दिया गया, जो भी सैम्पल इक्टठा किये गये थे, उसके चौदह लिफाफे बने थे। जिसमें से बारह लिफाफे एफ०एस०एल० के लिये कांस्टेबल को सुपुर्द किया था और दो लिफाफे भी आर०एम०एल० पैथोलाजी के लिये महिलां कांस्टेबल, आया के साथ भेज दिया था और एक्स–रे फार्म लेकर उसके लिये भी मैंने एडवाइज किया था। मैंने एडवाइज किया था, एक्सरे रिपोर्ट सं०–422, 423, 424, जो दिनांक–02.07.2016 की है, जो डाक्टर सौरभ द्वारा तैयार की गयी है, जो हमारे अस्पताल में सीनियर रेडियोलाजिस्ट है, जो मेरे साथ अस्पताल में तैनात हैं, लिखते–पढ़ते देखा है, लेख व हस्ताक्षर पहचानती हूं। रिपोर्ट सं०–1 एक्सरे राइट एल्बो एफीमाइसिस ज्वाइंट के राउंड फ्यूज्ड हैं। रिपोर्ट

सं०–2 एक्सरे राइट रिस्ट एफीव्यू एपीफाइसिस फ्यूजड है। रिपोर्ट सं०–3 एक्सरे राइट–नी आफ एफीव्यू एपीफाइसिस ज्वाइंट अराउण्ड फ्यूज्ड है। मेडिकल रिपोर्ट कागज सं०– अ 8/4 लगायत अ 8/17 व एक्सरे रिपोर्ट अ 8/18 मूलरूप से पत्रावली पर मौजूद है। मेडिकल रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया और एक्सरे रिपोर्ट डा० सौरभ के लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

जिरह सभी अभियुक्तगणों की ओर से– मैंने एफ०आई०आर० का क्राइम नंबर मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है, जो 270/16 लिखा है, यह सही है कि पेशेन्ट की कन्सेन्ट को जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। उसे मैंने अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया तथा उस पर अपनी स्टैम्प लगायी। **पीड़िता ने अपना हाल पता अमराई गांव, जो उसने लिखाया है, उसी के आधार पर मैंने लिखा है।** कालम सं०– 15 ए का 7 के कालम में मेरी राइटिंग में है, उसके नीचे मेरे या पीड़िता के हस्ताक्षर नहीं है, न ही कोई प्रमाणीकरण है। कालम सं०–15 के 5 में दो लोगो का नाम है जबकि कालम 7 में तीन लोगो का नाम है। मैं अबार्सन की हिस्ट्री की कोई ओपीनियन या रिकार्ड, प्रदर्श क–3 में मेरे द्वारा नहीं दी गयी थी और आंतरिक परीक्षण में मैंने केवल सैंपल इकट्ठा किये मैंने **एफ०आई०आर० देखकर उससे पूछा था, तो उसने स्वयं बताया कि मेरे साथ कोई अप्राकृतिक सेक्स नहीं हुआ है।** यह बात पीड़िता ने मुझे बतायी थी कि अमराई गांव, इंदिरानगर लखनऊ में रहती है और वह अपने मैके वीरेन्द्र तिवारी के साथ आती–जाती है। यह कहना सही है कि पीड़िता ने जो हिस्ट्री मुझे बतायी उसके संबंध में मैंने उसका बाह्य परीक्षण किया **कोई मार्क आफ वाइलेन्स की चोटे नहीं पायी, कोई निशान भी मुझे नहीं मिला।** मैंने केवल हाइमन परीक्षण किया और सैम्पल इकट्ठा करके जांच के लिये भेज दिया। मैंने कोई सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट इस संबंध में नही दी। **हाइमन ओल्ड–टोन्ड था, कोई इंजरी नहीं थी, कोई खरोंच के निशान नहीं थे।** मेरे बयान में 15 ए के कालम नं०–7 मे सिर्फ कपड़ा फाड़ने की बात लिखी हुयी है। 15 ए कालम नं०–5 में अंसार का नाम असाइलेंट में नहीं लिखा है। प्रदर्श क–3 के अनुसार मैं कोई भी सेक्सुअल ऐसाल्ट की ओपीनियन मैं नहीं दे सकती हूं और न ही पैनीट्रेटिंग एसाल्ट की ओपीनियन दे सकती हूं।

इस प्रकार अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू०–3 के बयान से अभियोजन प्रपत्र/चिकित्सीय प्रपत्र सम्यक रूप से साबित कराये गये हैं। तदनुसार विनिश्चायक बिन्दु –II निस्तारित किया जाता है।

18. विनिश्चायक बिन्दु III– क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को अच्छा प्लाट दिलाने का आश्वासन देकर अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्याम नगर कालोनी शहीद भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में ले जा कर उसकी उसकी इच्छा एवं सम्मति के बिना अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में बारी–बारी मैथुन गठित कर सामूहिक बलात्कार कारित किया, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–376 (D)** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

विनिश्चायक बिन्दु IV– क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्यामनगर कालोनी, शहीद भगत सिंह, वार्ड थाना–इंदिरानगर, लखनऊ मे प्रकृति

विरूद्ध बलात्संग कारित किया गया, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–377** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

विनिश्चायक बिन्दु V– क्या अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्त मो० अंसार के साथ मिलकर उपरोक्त निवास पर द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता की स्त्री लज्रा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़ दिये गये, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–354 बी** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

विनिश्चायक बिन्दु VI– क्या अभियुक्तगण ने संयुक्त रूप से सामान्य आशय की पूर्ति के लिये वादिनी मुकदमा/पीड़िता को अपने उपरोक्त पते अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्याम नगर कालोनी शहीद भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में जबरन निरूद्ध रखा गया, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–342/34** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

विनिश्चायक बिन्दु VII– क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया, जो **भारतीय दंड संहिता** की **धारा–323** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

विनिश्चायक बिन्दु VIII– क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्याम नगर कालोनी शहीद भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, जो भा०दं०सं० की **धारा 506** के अन्तर्गत दण्डनीय है?

उपरोक्त सभी विनिश्चायक बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित है, अतः उनका निस्तारण एक साथ किया जाना समीचीन है। उपरोक्त सभी विनिश्चायक बिन्दुओ का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

19. दांडिक विचारण में अभियोजन साक्ष्य के मूल्यांकन के नियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में दिये गये हैं। दांडिक विचारण में अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा होती है। यह भार पूरी तरह अभियोजन पर है कि वे निश्चयात्मक व सकारात्मक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामले को संदेह की प्रत्येक सीमा से परे साबित करे। यह अभियुक्त का कर्त्तव्य नहीं है कि वह अपनी निर्दोषिता को प्रतिपादित करे। यह सुस्थापित विधि है कि बचावपक्ष को अपना केस संदेह से परे सिद्ध करना नहीं होता है, वरन् यदि बचाव पक्ष यह दर्शित करने में भी सफल हो जाय कि उसका केस सम्भाव्य है तो वह संदेह का लाभ पाने का अधिकारी हो जाता है, किन्तु अभियुक्त को किस संदेह का लाभ मिलेगा या युक्ति–युक्त संदेह की परिभाषा क्या है, इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय व्यवस्था **एच०पी०एडमिन बनाम ओम प्रकाश ए०आई०आर० 1972 एस०सी० 975** में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त युक्ति–युक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है–ऐसा संदेह जो एक सामान्य प्रज्ञा वाले मनुष्य को युक्ति–युक्त ईमानदारी एवं शुद्ध अन्तःकरण से उत्पन्न होता है न कि कमजोर दिमाग से उत्पन्न होता है। न्यायाधीश को अनिश्चित मस्तिष्क में उत्पन्न संदेह का लाभ नहीं देना है अन्यथा यह विधिक रूप से सम्भव नहीं है कि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये जो अभियुक्त के अपराध को दूरस्थ सम्भावना से

भी परे स्थापित करे। यदि ऐसा हुआ तो विधि समाज को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पायेगी एवं यह न्याय के विपरीत होगा। न्यायालय को हरसम्भव प्रयास यह करना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति की दोषसिद्धि न की जाये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शिवाजी साहेब राव बोब्डे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए०आई०आर० 1973 एस०सी० 2622** में यह विधि व्यवस्था दी है कि **"संदेह का लाभ** नियम को अत्याधिक महत्व देने से सदैव यह खतरा रहता है कि आहत एवं समाज को न्याय नहीं प्राप्त होगा, जो वर्तमान समाज में बढ़ते हुए अपराध के सन्दर्भ में उचित नहीं है। न्यायिक तन्त्र की एक लोक जिम्मेदारी है, व संदेह से परे साक्ष्य के स्वर्ण नियम को इतना नहीं खींचा जाना चाहिये कि प्रत्येक संदेह या शंका या हिचकिचाहट इस नियम के अन्तर्गत शामिल कर ली जाये। मात्र युक्ति–युक्त संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलता है नहीं तो न्यायिक तन्त्र विफल हो जायेगा और समाज में इसकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी तथ्य को वैज्ञानिक शुद्धता के साथ साबित किया जाना सम्भव नहीं है।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह ए.आई.आर. 1996 एस.सी. पेज 1393** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि न्यायालयों पर, जब भी बलात्संग के मामलों का निस्तारण करते हैं, एक भारी दायित्व अधिरोपित हुआ करता है, उन्हें ऐसे मामलों की अत्यधिक संवेदनशीलता से संवीक्षा करनी चाहिये। न्यायालयों को ऐसे किसी मामले की मोटी अधिसम्भाव्यनाओं को परीक्षित करना चाहिये और उसे साधारण विरोधाभास और अभियोक्त्री के बयान में आये ऐसे परस्पर विरोधी बातों जो अभियोजन के अन्यथा विश्वसनीय केस से अस्वीकृत करने के लिये घातक नहीं है, से प्रभावित नहीं होना चाहिये। अभियोक्त्री के साक्ष्य की संवीक्षा केस की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में की जानी चाहिये। माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यौन अपराधों में अपराध की शिकार अभियोक्त्री का अभिसाक्ष्य अत्याधिक महत्व का होता है और जब तक ऐसे बाध्यकारी कारण न हो, जो अभियोक्त्री के बयान की सम्पुष्टि को आवश्यक बनाने वाले हों, न्यायालयों को उक्त यौन प्रहारों की शिकार लड़की के अकेले अभिसाक्ष्य पर, जो विश्वास उत्पन्न करता है, और विश्वसनीय पाया जाता है, दोषसिद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यौन हिंसा के शिकार का साक्ष्य एक चोटहिल गवाह के समतुल्य और कुछ सीमा तक उससे अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि सामान्यतः भारतीय परिवेश में कोई महिला इस प्रकार के अपराध का झूठा अभिकथन नहीं करती है। अभियोक्त्री की अन्तर्निहित लज्जा, विनीतता या भीरूपन या संकोची स्वभाव उसकी अबोध, अकृत्रिम सरलता तथा पुरुष द्वारा किये गये यौन प्रहारों को छिपाने की नारी सुलभ प्रवृत्ति कुछ ऐसे कारण है, जो उसके द्वारा झूठा फँसाने की सम्भाव्यता को अस्वीकृत करते हैं।

22. एकल साक्षी के महत्ता पर प्रकाश डालते हुए **रमेशकृष्ण मधुसूदन नायर बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 2008 एस.सी.927 में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अपराधिक विचारण में साक्षियों की संख्या नहीं अपितु साक्ष्य की गुणवत्ता महत्व रखती है। धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधि० के अनुसार किसी साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिये, साक्षियों की

किसी निश्चित संख्या का होना अपेक्षित नहीं है, अपराधिक विचारण में साक्षियों की बहुसंख्या विधायी मन्तव्य नहीं है, यदि एकल साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा पाया जाता है तो ऐसे एकल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उगड़ अहीर बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर. 1965 एस. सी. 277** में यह निर्धारित किया गया है कि–

"7. The maxim falsus in uno, falsus in omnibus (false in one thing, false in everything) is neither a sound rule of law nor a rule of practice. Hardly one comes across a witness whose evidence does not contain a grain of untruth or at any rate exaggerations, embroideries or embellishments. It is, therefore, the duty of the court to scrutinise the evidence carefully and, in terms of the felicitous metaphor, separate the grain from the chaff. But, it cannot obviously disbelieve the substratum of the prosecution case or the material parts of the evidence and reconstruct a story of its own out of the rest."

23. अपराधिक विचारण में साक्षियो के बयान मे उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के संबंध मे **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था उ०प्र० राज्य बनाम एम० के० एन्थोनी ए०आई०आर० 1985 एस०सी० 48** उल्लेखनीय है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि–

"10. While appreciating the evidence of a witness, the approach must be whether the evidence of the witness read as a whole appears to have a ring of truth....Minor discrepancies on trivial matters not touching the core of the case, hyper- technical approach by taking sentences torn out of context here or there from the evidence, attaching importance to some technical error committed by the investigating officer not going to the root of the matter would not ordinarily permit rejection of the evidence as a whole. ."

24. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित तथ्य के दो साक्षीगण वादिनी मुकदमा/पीड़िता के भाई एवं पीड़िता को परीक्षित कराया गया है। जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा मे जो कथन किये गये है, वे इस प्रकार है–

अभियोजन **साक्षी सं०–1 पीड़िता** ने सशपथ बयान किया कि वीरेन्द्र तिवारी "साक्षी प्रापर्टी एवं डेवलपर्स" का आफिस हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में खोले है। मैं उनके पास जमीन के सिलसिले में गयी थी। मुझको प्लाट चाहिये था। वहां आफिस में वीरेन्द्र तिवारी मुझे मिले और बताया कि मैं कंपनी का प्रमुख हूं और मेरे यहां आते रहिये और जब जमीन अच्छी मिलेगी तो मैं दिला दूंगा। जब दोबारा इनके आफिस गये तो इन्होंने अपने भाई संजय तिवारी से परिचय कराया। आप हमारे लखनऊ आफिस चलिये और एक प्लाट वहां दिला देंगें, वहां मेरा आफिस है। दिनांक–23.03.2015 को लखनऊ में अहिमामऊ में मुझे एक प्लाट दिखाया। साक्षी ने फिर कहा कि दिनांक–23.04.2015 थी, तो अपने घर के सामने वाली जमीन दिखायी और अपने घर के बगल वाला प्लाट दिखाया। फिर दिनांक–25 तारीख को उसी के मालिक से मिलवाने लाये थे, तो उसने

कहा कि मेरा ही प्लाट है। रात मे आठ–साढ़े आठ बज गया था, तो उन्होंने कहा कि यही रुकिये सुबह प्लाट दिखा देंगें और आपके घर छोड़ देंगें। **फिर वीरेन्द्र तिवारी ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। और चाय पिलाया था, बलात्कार के पहले ,जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया था। फिर सुबह जब मुझको होश आया तो मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और प्राइवेट पार्ट पर दर्द हो रहा था। फिर मैंने वीरेन्द्र तिवारी से कहा हम थाने जायेंगें, आपने मेरे साथ बलात्कार किया। तो वीरेन्द्र तिवारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि हम आपसे शादी कर लेंगें। फिर हम लोग चन्द्रिका देवी मंदिर में गये और वीरेन्द्र तिवारी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। मैं अपने मन से नहीं गयी थी। वीरेन्द्र तिवारी जबरदस्ती ले गये थे।** फिर वीरेन्द्र तिवारी अमराई गांव में रहता था और मुझे साथ रखता था और बंद कमरे में मारता–पीटता था। **फिर जब मुझे पता चला कि इसके बीवी बच्चे भी हैं और शादी–शुदा है, तो मैंने कहा कि मंदिर के शादी की कोई मान्यता नहीं है और फिर कोर्ट में शादी करो। फिर वीरेन्द्र तिवारी ने कहा कि हम कोर्ट में शादी नहीं करेंगें फिर दिनांक–5 अप्रैल, 2016 को वीरेन्द्र तिवारी ने अपने भाई संजय तिवारी व वीरेन्द्र तिवारी का ड्राइवर अंसार सिद्दीकी को कमरे में मेरे साथ बंद कर दिया। अंसार सिद्दीकी ने मेरे कपड़े फाड़े, संजय तिवारी ने बलात्कार किया। उसके बाद वीरेन्द्र तिवारी ने भी मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद दिनांक–08.04.2016 को घर से भगा दिया और कहा कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगें।** अगर कहीं जाओगी और मेरे खिलाफ कुछ करोगी तो तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। **अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी ने मेरे साथ गुदा मैथुन व अप्राकृतिक संबंध भी बनाया।** इस स्तर पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से निवेदन किया कि अभियोजन द्वारा पूर्व में शिनाख्त कार्यवाही वादिनी से नहीं करायी है इसीलिये इस स्तर पर न्यायालय में शिनाख्त कार्यवाही विधि–विरूद्ध है। संदर्भ मे पीड़िता ने बताया कि हाजिर अदालत अभियुक्तों की पहचाना, जिसमें अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी व अंसार सिद्दीकी की पहचान की। न्यायालय द्वारा आपत्ति निस्तारण अंतिम बहस के समय सुनिश्चित करना आदेशित किया। पुलिस ने मेरा बयान लिया था और यही बात मैंने पुलिस को बतायी थी। मेरा मेडिकल परीक्षण भी हुआ था। गवाह ने कागज सं०– अ 5/3 को देखकर कहा कि यह तहरीर मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करती हूं, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मेरा मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में बयान हुआ था। बयान 164 सी०आर०पी०सी० न्यायालय के आदेश पर खोला गया। बयान 164 सी०आर०पी०सी० को पढ़ाया तो साक्षी ने कहा कि यही बयान मैंने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया था। बयान लगी फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त की तो गवाह ने कहा कि यह वही बयान है, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

अपनी जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया– मेरे पिताजी का निधन मेरे निवास स्थान त्रिवेदीगंज पर हुआ था। मेरे पिता पर न कभी कोई मुकदमा चला और कभी कोई सजा की जानकारी मुझे है। मेरे पिता भियामाऊ, थाना–हैदरगढ़, कोतवाली जिला–बाराबंकी में थे और मेरी ननिहाल कन्हीपुर, थाना–लोनीकटरा, जिला बाराबंकी की थी। मैं एक बहिन एक भाई हूं। **मेरा भाई तीस–बत्तीस साल का है। उसकी शादी नहीं हुई।** मेरा मां के नाम अंत्योदय राशन कार्ड बना है। इसमे

परिवार की आमदनी दर्ज होगी। अन्त्योदय में मेरी मां ने लिखवाया है कि परिवार की कोई आमदनी का कोई जरिया नही हैं। अभी तक हमकों ग्राम समाज से कोई जमीन नहीं मिली। जो वकील साहब मेरे साथ खड़े हैं, उनको मैंने प्राइवेट वकील इंगेज किया है। पर मैंने वकील साहब का वकालतनामा दाखिल नहीं करवाया है। मेरी मां का जो बी०पी०एल० कार्ड है, वह सही है। उसमें मेरा नाम शामिल है। मेरी मां बी०पी०एल० पात्र है या नहीं, यह मुझे नहीं पता हैं। पिता के विरासत से मेरी मां को मकान मिला था। मैं अपनी मां के लोनी कटरा वाले मकान में मैं नहीं रहती हूं। **लोनी कटरा वाला मकान गिर गया है। वह मकान को गिरे हुये चार–पांच साल हो गये हैं।** यह सही है कि बी०पी०एल० कार्ड धारक जब सक्षम आमदनी योग्य हो जाता है, तब उसका बी०पी०एल० कार्ड कैंसिल हो जाता है। अगर परिवार के नाम कोई चार पहिया वाहन मौजूद है, तब भी बी०पी०एल० कार्ड कैंसिल हो जायेगा, यह बात मैं जानती हूं। मेरे नाम चार पहिया वाहन एम्बेसडर दर्ज है, यह गाड़ी मैंने नीलामी में खरीदी थी। मैंने उस गाड़ी को आज तक आर०टी०ओ० कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं कराया। इसका रोड टैक्स भी नहीं जमा किया। मैं अब आर०टी०ओ० जाऊंगी, तब पता चलेगा कि कितना टैक्स बाकी है। यह गाड़ी नम्बर UP 32 BG 6068 एम्बेसडर थी। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। कोई ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं है। कोई ड्राइवर कभी मेरे पास नहीं रहा। मेरे साथ दो–तीन लोग गये थे, उनके नाम बताना मैं उचित नहीं समझती हूं। **यह गाड़ी दरोगा जी ने खरीदी थी। हरिशंकर रिटायर्ड दरोगा हैं। यह पैसा दरोगा जी ने दिया था। यह दरोगा जी पी०ए०सी० में थे। महिबुल्लापुर में रहते थे।** मैं दरोगा जी के घर कभी खुद अकेले नहीं गयी और न ही मैंने दरोगा जी को कभी अकेले अपने घर बुलाया। मैंने दरोगा जी से कहा कि आप हमसे पैसा ले लो और गाड़ी हमारे नाम रहने दो। दरोगा जी मान गये। उनका पैसा तीस हजार रूपया मैंने वापस कर दिया और बीस हजार रूपया अभी बाकी है। मैं बीमारी के कारण पूरा पैसा दरोगा जी को नहीं दिया। बारह हजार रूपया महीना वेतन का कोई प्रमाण पत्र मुझे नहीं मिला है। सरकार प्रापर्टीज कैम्पवेल रोड, नियर मानस हास्पिटल के मालिक मो० आसिफ इसके स्वामी है। यह कहना गलत है कि आसिफ न तो रेरा में दर्ज और न ही यह प्रापर्टी डीलर के रूप में आवास–विकास में पंजीकृत हैं। **मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दूंगी कि बारह हजार रूपया महीना वेतन पाने वाला एम्बेसडर गाड़ी रखकर, ड्राइवर रखकर, पेट्रोल भरवाकर, उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकता है।** साक्षी की दौरान जिरह तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण जिरह हेतु समय प्रदान किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। स्वीकृत।

दिनांक–20.07.2018 को अपनी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया कि– मुझे यह याद नहीं आया कि आक्शन मे खरीदी हुयी गाड़ी मेरा भाई चलाकर लाया था। मुझे नहीं पता कि दरोगा हरीशंकर का वीरेन्द्र तिवारी से कोई मुकदमा चल रहा है। मैं इंस्पेक्टर रामपाल यादव को नहीं जानती हूं, न ही पहचानती हूं। मेरी जानकारी में यह भी नहीं है कि दरोगा रामपाल यादव ने वीरेन्द्र तिवारी पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि बाद मे रामपाल यादव सीतापुर में लाइन हाजिर हो गया। यह कहना गलत है कि रामपाल यादव और हरिशंकर से मिलकर मैं पुलिस

संरक्षण का फायदा उठाकर उस एम्बेसडर टैक्सी का इस्तेमाल कर रही हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि इंस्पेक्टर रामपाल यादव, थाना–मोहनलालगंज, लखनऊ में इंचार्ज था और समाजवादी सरकार में उसका दबदबा था। दिनांक–01 जुलाई, 2016 की तारीख मुझे याद नहीं है। प्रापर्टी डीलर के यहां नौकरी ज्वाइन करने की तारीख भी मुझे याद नहीं है। नौकरी मुझे रिपोर्ट लिखाने के बाद मिली। रिपोर्ट लिखाने से पहले नौकरी की बातचीत चल रही थी। **मैं पहले तहसील में आय व जाति प्रमाणपत्र बनवाती थी। मेरे पास वकालत का सर्टिफिकेट नहीं है। किसी वकील के यहां मुंशीगिरी नहीं की, न ही कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ।** लखनऊ में मैंने पहले यह काम कभी नहीं किया। मैं कभी आधार बनवाने का काम नहीं करती थी। मैं हैदरगढ़ में............ के नाम से जानी जाती हूं। मैं आज तक कभी आधार आदि बनवाने नहीं गयी। यह सही है कि मेरे विरूद्ध एस०सी०/एस०टी० का मुकदमा अ०सं०–62/2015, थाना–हैदरगढ़ में हरिजन एक्ट, गाली–गलौज व जान–माल की धमकी के कारण दाखिल हुआ। यह कहना गलत है कि निःशुल्क मिलने वाले कागज को मैं अपनी दबंगई से मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया हो। मौजूदा विधायक हैदरगढ़ राममगन रावत की बहन वादिनी राजकुमारी होने के कारण मेरे खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के कारण क्योंकि **मैं कांग्रेस सेवादल, बाराबंकी की महिला की अध्यक्ष हूं।** अब इस मुकदमे में सुलह होने वाली है। मुझे यह नहीं पता कि वीरेन्द्र तिवारी की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है या नहीं। मुझे वीरेन्द्र तिवारी के किसी पार्टी में या किसी पद में होने की कोई जानकारी नहीं है। **मैं कचहरी में जो वकीलो का काम करती थी, उसमें मुझे पैसा मिलता था, अन्य मैं जनसेवा करती थी।** अपनी गाड़ी में कांग्रेस सेवादल का झण्डा नहीं लगाया है। वीरेन्द्र तिवारी के पास रेनो गाड़ी है। इस गाड़ी पर वीरेन्द्र तिवारी द्वारा सपा का भी झण्डा लगा, बसपा का भी झण्डा लगा, फिर कहा भाजपा का भी झण्डा लगा। वीरेन्द्र तिवारी की गाड़ी को ड्राइवर अंसार चलाते हैं। अंसार को वीरेन्द्र तिवारी आठ हजार रूपया महीना पगार देते हैं। यह बात वीरेन्द्र तिवारी ही बोलते थे, अंसार ने नहीं बताया। **वीरेन्द्र तिवारी से व उनके घरवालों से मैं पहली बार कब मिली यह मुझे याद नहीं है। वीरेन्द्र तिवारी के कुल चार बच्चे हैं। मात्र एक बच्ची को मैं जानती हूं, उसका नाम साक्षी है। वीरेन्द्र तिवारी की पत्नी के खिलाफ मैंने कभी लड़ाई–झगड़े का मुकदमा नहीं लिखाया। वीरेन्द्र तिवारी की पत्नी से मेरी बातचीत होती थी। अब उनसे मेरे संबंध सामान्य हैं।** मुझे जानकारी नहीं है कि दिनांक–01.7.2016 से पूर्व मेरी मां, भाई या परिजनो ने मेरी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट जिला बाराबंकी या लखनऊ में दर्ज करायी। प्रदर्श क–1 में मेरा पता बाराबंकी लिखा है और मैंने रिपोर्ट लखनऊ में लिखायी है। प्रदर्श क–1 में मैंने यह बात नहीं लिखी है कि मैंने अपना मैका लोनीकटरा कब छोड़ा। तहरीर में यह भी नहीं लिखा है कि लोनीकटरा मैंने दिनांक–01.07.2016 के कितने वर्ष कितने माह पूर्व छोड़ दिया। तीन महीना लगातार थाने पर दौड़ने के पश्चात मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ज दर्ज की गयी। जब मैं थाने रिपोर्ट लिखाने तीन महीने दौड़ती रही तब मैं तहरीर लेकर गयी थी। तहरीर वही है, हम तारीख बदलते रहते थे। मैं जब रिपोर्ट लिखाने जाती थी, उस दिन की तारीख उस पर लिख देती थी। तहरीर वही है, जो तहरीर मैं मुकदमा लिखे जाने पूर्व मैं ले जाती थी। उस तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा था, थाने वाले उस

तहरीर को लेते नहीं थे। **<u>रिपोर्ट थाने पर लिखे जाने के पूर्व कोई चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं थी</u>**। **<u>तहरीर में मैंने अपनी मानसिक स्थिति के खराब होने की जो बात लिखी है, वह गलत लिखी है, क्योंकि मैं उसे काट नहीं सकती हूं।</u>** **<u>दरोगा जी को मैंने नहीं बताया था। दरोगा जी ने मेरी मानसिक स्थिति खराब होने वाली बात 161 सी०आर०पी०सी० में लिख दी है, वह तहरीर को देखकर लिख दी है, मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया।</u>** जिस मकान में मैं रह रही हूं, रामदेव विश्वकर्मा से पैसा देकर कब्जा लिया, कोई रजिस्ट्री नहीं है, न रामदेव विश्वकर्मा के नाम कोई रजिस्ट्री है, न मेरे नाम कोई रजिस्ट्री है। मेरे भाई का मेरे मां के राशनकार्ड में नाम नहीं है। मेरा नाम है। बैंक आफ इंडिया हैदरगढ़ में मेरा खाता है। मेरे खाते में कोई चेक नहीं है, न चेक से कोई सामान खरीदा है। मेरे पास यह मकान पन्द्रह साल से हैं। यह कहना गलत है कि मेरे पास फालतू पैसा था, इसलिये मैं लखनऊ प्रापर्टी खरीदने आयी। मेरे पास एक मकान था, दूसरा मकान मेरे पापा, भाई और मैंने मिलकर खरीदा था। मेरे पापा दस बारह साल पहले मर चुके थे। **<u>पापा के मरने के बाद मेरा भाई गाड़ी चलाता था, उससे आय आती है।</u>** मेरे पापा के मरने से पहले मैं इंडेन गैस सर्विस में काम करती थी। मुझे नहीं पता कि अमराई गांव मे चौंकी इंचार्ज कौन था, मैने प्रदर्श क–1 में इस बात को नहीं लिखा है कि मैंने अपना मैका किस तारीख को छोड़ा, जिस तारीख को मैं अपने मैके वापस गयी, वह तारीख 8 अप्रैल सन् 2016 लिखी है। मैंने अपने बयान धारा–164 सी०आर०पी०सी० में लिखवाया है " मेरे घर मुझे लेकर भी जाता था"। वीरेन्द्र तिवारी ने हमेशा मेरी मां के पैर छुये पर उसको कभी खाना नहीं खिलाती थी। **<u>मैं कई बार वीरेन्द्र तिवारी के साथ अपने मैके अपनी मां के पास गयी। मैं इनके साथ रेनो गाड़ी से जाती थी। कभी–कभी मैंके में मुझे और वीरेन्द्र तिवारी को मेरा छोटा भाई भी मिला। मेरे भाई ने कभी वीरेन्द्र तिवारी से मेरे सामने कोई बदतमीजी नहीं की थी। उस समय गाड़ी स्वयं वीरेन्द्र तिवारी चलाते थे। मैंने कभी वीरेन्द्र तिवारी की शिकायत अपनी मां से नहीं की।</u>** इस घटना के पूर्व मेरी मां ने कोई गुमशुदगी या गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी। स्वयं साक्षी ने कहा वीरेन्द्र तिवारी हमेशा धमकाता था कि अपनी मां से शिकायत करोगी तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगें। <u>मैंने इस घटना की सूचना कभी पुलिस को नहीं दिया क्योंकि वीरेन्द्र तिवारी हमेशा बंद करके रखता था। मैंने कभी वीरेन्द्र तिवारी के साथ पार्टी या दावतें नहीं खाई, न ही फोटो खिंचवाई। जब तक मैं वीरेन्द्र तिवारी के साथ थी, तो उसने एक बार मांग भरी थी। उसके बाद मैंने मांग भरना बंद कर दिया था।</u> मेरी मां ने मुझे और वीरेन्द्र तिवारी को उसके बाद नेग का पैसा दिया। मुझे हजार रूपया से ज्यादा मिला था और वीरेन्द्र को हजार रूपया मिलता था। **<u>लगभग एक साल में 5–6 बार हम लोग साथ मेरे गांव गये।</u>** वीरेन्द्र तिवारी जब मेरे साथ मेरे गांव जाता था, तो एक हजार रूपया गाड़ी में तेल भरवाने के लिये दिये जाते थे। **<u>जब उसे अपने घर जाना होता था, तो वह मेरी मम्मी के रास्ते में मुझे उतारते हुये चला जाता था और लौटते मे मुझे साथ लेकर लखनऊ आता था। यह अपने घर से खाना खाकर आ जाते थे और मैं अपनी मां के यहां खाकर दोनो लोग लखनऊ आ जाते थे।</u>** मुझे नहीं पता की वीरेन्द्र तिवारी किस पार्टी में है, **<u>मैं कांग्रेस सेवा दल बाराबंकी की जिला अध्यक्ष हूं।</u>** जिस दिन मैं रिपोर्ट लिखाने आयी उस दिन मेरी मां और

मेरे भाई की सी०डी० में आमद नहीं है। मेरी मां व भाई का बयान रिपोर्ट के तीन महीने के बाद हुआ। घटना वाले दिन मेरी मां आयी नहीं थी और भाई का बयान पुलिस ने लिया नहीं। **घर में भोजन मैं बनाती थी, बर्तन भी मैं धोती थी, झाड़ू–पोछा मैं नहीं करती थी।** कामवाली मेरे यहां नहीं आती थी। **पुलिस को लेकर वीरेन्द्र तिवारी के निवास स्थान पर गयी। मकान का ताला बंद था इसीलिये मैं अपने कपड़े, ब्रश, पेस्ट व सामान लेकर नही आयी। क्योंकि तालाबंद था बाहर से दरोगा जी को मैंने बताया और नक्शा बना लिया।** इसीलिये कमरे के सामान को कोई फर्द नहीं बनी। प्रदर्श क–1 मेरे हस्तलेख में है और मेरे हस्ताक्षर से दी गयी। थाने की जी०डी० मे मेरी आमद कायमी मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया। नकल पर भी मेरे हस्ताक्षर से प्राप्त हुयी। मजिस्ट्रेट के यहां 164 सी०आर०पी०सी० के बयान मे मैंने "मम्मी को, भाई को बताया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी" पीड़िता मैं स्वयं हूं, मेरी मां का नाम नहीं है। इस बयान में तारीख 17.08.2016 पड़ी है। मेरा चिकित्सीय परीक्षण दिनांक–01.07.2016 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गोमतीनगर, लखनऊ में हुआ जिस पर मेरे निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर मौजूद है, जो प्रपत्र सं०– अ8/4 शामिल पत्रावली है। **डाक्टर ने मेरा परीक्षण भी किया और डाक्टर ने मेरा बयान भी लिया। गवाह ने पेपर सं०– अ8/8 देखकर कहा कि मेरे बताने के मुताबिक डाक्टर ने यह सभी इन्ट्री अपने कलम से अपने हाथ से बर वक्त मुआयना तैयार किया। मैंने डाक्टर से यह बोला था कि Anul और Mouth, में NO लिखा है, डाक्टर ने चोटो का कोई निरीक्षण नहीं किया। डाक्टर को यह भी मैंने बताया था कि घटना तीन महीने पुरानी है।** क्योंकि मेरी मां के घर मेरे साथ वीरेन्द्र तिवारी मेरी मां के घर जाता था, तो मेरी मां उसको भीख की तरह एक हजार रूपया देती थी। मुझे मेरी मां ज्यादा पैसे देती थी। हम और वीरेन्द्र तिवारी दोनो लोग अपना–अपना पैसा अपने पास रखते थे। मेरे पैसे भी वीरेन्द्र तिवारी मार के छीन लेता था। **डेढ़ साल तक यह तकरार की बाते मैंने बहुत से लोगो को बताया। मैं नाम नहीं बताना चाहती हूं, जब मौका आयेगा तो बता दूंगी। सोशल फंक्शन में दावत में जबरदस्ती ले जाता था, पर मैं खाती नहीं थी।** डेढ़ साल घर में खाना मैं खुद बनाती थी और खाती थी। मैं जब अपने घर से आती थी तो दाल, चावल, सब्जी व रोजमर्रा की चीजे अपने साथ लाती थी। मेरे कमरे से मेरा मैका लगभग सत्तर किलोमीटर होगा। मैं कभी सचिवालय कम्पाउण्ड नहीं गयी, जब मैं गाड़ी का कागज लेने सचिवालय गयी तब भी मेरा पास नहीं बना। चपरासी आकर मुझे अंदर ले गया। रामपाल यादव पुलिस में इंस्पेक्टर है, मैं उनको नहीं जानती और कभी उनको मौसिया नहीं कहती। इंस्पेक्टर रामपाल यादव से वीरेन्द्र तिवारी का विवाद कब से और किस बात से हुआ मैं नहीं जानती हूं। **हरीशंकर जिनसे मैंने गाड़ी खरीदने के लिये पैसा उधार लिया, उनको मैं पौने दो साल से जानती हूं।** हरीशंकर और रामपाल इंस्पेक्टर का कब से और क्या संबंध है, यह मुझको जानकारी नहीं है। गवाह ने पेपर सं०– अ–8/6 देखकर कहा "उसको गलत लाइन में – भी धमकी दी" शामिल पत्रावली में मौजूद है। **मुझे नहीं पता कि डाक्टर को मेरे शरीर पर चोट के निशान मिले या नहीं। यह सही है कि डाक्टर ने न कोई दवा दी, न कोई इंजेक्शन लगाया और न ही कोई मरहम शरीर पर लगाया।** प्रदर्श क–1 में मैंने यह लिखाया है "जब मैं वहां जाने लगी–धर्मपत्नी बना

लूंगा"। यह बात प्रदर्श क–1 में मैंने स्वयं लिखायी है। **प्रदर्श क–1 में मैंने यह भी लिखाया है कि वीरेन्द्र तिवारी द्वारा– प्रार्थिनी उपरोक्त के अमराई गांव मकान में रहने लगी। यह बात मैंने स्वेच्छा से तहरीर में लिखायी थी। मानसिक स्थिति खराब होने की बात प्रदर्श क–1 में जो मैंने स्वयं लिखायी है, गलत लिखायी है।** मैं तीन महीने थाने दौड़ती रही। पुलिसवालो ने मेरा मुकदमा नहीं लिखा। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की वजह से पुलिस वालो ने मेरा मुकदमा न लिखा हो। **रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुझे दो–तीन दिन में यह अंदाजा आया कि मैंने प्रदर्श क–1 में मानसिक स्थिति खराब होने की बात गलत लिख दी।** इस रिपोर्ट लिखने के बाद मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हुयी। यह कहना गलत है कि मुझे पैरवी में वकीलों से पता चला कि मानसिक स्थिति वाली बात मैंने तहरीर में गलत लिखी। चन्द्रिका देवी जाने वाली बात और वहां के कार्यक्रम की बात मैंने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखायी। डाक्टर को भी नहीं बतायी। यह सही है कि मैंने अपने बयान 164 सी०आर०पी०सी० में लिखाया है "फिर मैंने भाई को बताया, भाई ने दबाव डाला तो वीरेन्द्र तिवारी मुझसे शादी के लिये तैयार हो गया और मुझसे चन्द्रिका देवी मंदिर में शादी कर ली और अपने साथ रखने लगा। उसका भाई उसके साथ रहता था, पर बोलता नहीं था।" मैने स्वयं स्वेच्छा से लिखाया था, जो शामिल पत्रावली है। मैंने कभी इस रिश्ते को स्वयं, किसी अभिलेख में दर्ज नहीं कराया। मैंने कभी पत्नी वीरेन्द्र कुमार नहीं लिखा। मैंने कभी वीरेन्द्र कुमार के मुकदमे की पैरवी नहीं की। **संजय तिवारी, वीरेन्द्र तिवारी का सगा शादी–शुदा छोटा भाई है। उसकी पत्नी व परिवार से मैं वाकिफ हूं। मैं संजय तिवारी के घर मात्र एक बार गयी हूं और मैं अकेले गयी थी, फिर वीरेन्द्र तिवारी के साथ वापस आयी थी।** मेरे भाई, मेरी मां ने मुझे अवैधानिक रूप से रोककर रखने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी। यह कहना सही है कि मैंने अपने पूर्ववत बयान में वीरेन्द्र तिवारी के साथ गाड़ी में बैठ कर मम्मी के घर जाना और नेग का टीका कराकर वीरेन्द्र तिवारी के साथ वापस आ जाने की बात बतायी। वीरेन्द्र तिवारी द्वारा मेरी मां के पैर छूने की बात बतायी। मैं वीरेन्द्र तिवारी के साथ जब से रह रही थी, वह बात मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखायी। **मैं और वीरेन्द्र तिवारी लगभग एक साल साथ रहे।** जो बाते मैंने अदालत में आज बतायी है। यह सारी बाते मैंने विवेचक को बतायी है। गवाह को बयान 161 सी०आर०पी०सी० पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि अगर यह बाते नहीं लिखी है, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती हूं। यह बात मेरे संज्ञान में नहीं है कि राजनीतिक साजिश के तहत पुलिस अधिकारियों ने वीरेन्द्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा कराया हो। वीरेन्द्र तिवारी को जेल जाने उसके पैरवी से मेरा कोई वास्ता नहीं था। वीरेन्द्र तिवारी के साथ मेरा विवाद हमेशा था। चन्द्रिका देवी फंक्शन के बाद मैं अपनी मां के घर नहीं गयी। **मुझे याद नहीं है कि वीरेन्द्र तिवारी का परिचय कब और कहां कराया। फिर कहा मैने अपनी मां का परिचय वीरेन्द्र तिवारी से मां के घर पर कराया।** मुझे पता कि वीरेन्द्र तिवारी के यहां कौन नौकरी करता था। यह कहना सही है कि **मैं कभी ड्राइवर के साथ गाड़ी में नहीं गयी बल्कि वीरेन्द्र तिवारी गाड़ी ड्राइव करके ले गया और मैं उन्हीं के साथ वापस आती थी। मैंने एफ०आई०आर० में लिखाया है कि मुझे वीरेन्द्र तिवारी ने घर से निकाला था, मैं स्वयं नहीं निकली।** यही सही है कि मेरी मां और भाई कभी मुझे निकालने वीरेन्द्र तिवारी के घर

नहीं आये। **<u>उनको पता ही नहीं था कि मेरे साथ कोई टार्चर हुआ।</u>** यह कहना गलत है कि वीरेन्द्र तिवारी पर दबाव बनाने के लिये मैंने उसके भाई व उसके ड्राइवर का नाम अपनी रिपोर्ट में लिखवा दिया। मजिस्ट्रेट साहब के यहां बयान देने से पहले मैंने डाक्टर साहब को बयान दिया था और उस रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। यह कहना गलत है कि मेरा डाक्टर को दिया बयान और मजिस्ट्रेट को दिया बयान दोनो में फर्क हो। **<u>यह कहना गलत है कि मेरा और वीरेन्द्र तिवारी का आपसी संबंध व सामंजस्य हो, जिसके कारण मै उसके साथ रह रही हूं।</u>** यह कहना गलत है कि मैंने दरोगा जी की सय पर जिनके माध्यम से पैसा लेकर गाड़ी ली थी और अब पैसा वापस कर दिया उनकी राय पर दबदबा बनाने के लिये झूठा मुकदमा दर्ज कराया।

जिरह द्वारा अभियुक्तगण संजय व अन्सार की ओर से– मेरी संजय तिवारी से मुलाकात प्लाट को देखने के बाबत हुयी थी। मैं दो दिन तक वीरेन्द्र तिवारी के साथ प्लाट की खोज में गयी। मुझे कोई प्लाट पसंद नही आया। फिर मैं पहले दिन हैदरगढ़ लौट गयी, मेरे घर वीरेन्द्र और संजय नहीं गये, फिर दूसरे दिन पुनः मैं प्लाट देखने गयी तो अमराई गांव में प्लाट के सामने वाले मकान में रूक गयी। उस मकान में चार–पांच कमरे हैं व बरामदा है, मैं पहले फ्लोर पर रही थी, मुझे यह नहीं पता कि मैं जिस मकान में रही थी, यह मकान संजय का है या नहीं। मैं पहला कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में रहती थी। उक्त मकान में लगभग एक साल डेढ़ साल तक रही। उस मकान में किचन था, मैं खाना–बनाती थी, खाती थी और खिलाती थी, जब तक मैं उस भवन में रही, मेरी माता जी, मेरा भाई कभी नहीं आये। संजय तिवारी व वीरेन्द्र तिवारी के पास फोर व्हीलर थी। मैं छः–सात बार गाड़ी में गयी। **<u>जब मुझसे वीरेन्द्र तिवारी ने मारपीट की थी, तो वहीं मुझे गाड़ी से डाक्टर के यहां दिखाने गये थे। मैं मुंशी पुलिया पर डा० के यहां गयी और भिन्न–भिन्न डाक्टरों के यहां दिखाने गयी। मेरे पास मोबाइल था, जिसका नंबर–9125096783 है। यह मोबाइल मेरे पास शुरू से ही है और आज भी यही नंबर है। यह मोबाइल सदैव मेरे पास रहता है, लेकिन घर पर भी रहता है। जब मैं वीरेन्द्र तिवारी के साथ रही तब भी यह मोबाइल मेरे पास था, यह बात सही है कि वीरेन्द्र तिवारी मुझको छोड़कर चले जाते थे।</u>** मैं और वीरेन्द्र तिवारी चार पहिया वाहन से जाते थे, तो कभी ड्राइवर रहता था और कभी वीरेन्द्र तिवारी गाड़ी चलाकर ले जाते थे। एफ०आई०आर० में कोई घटना की तारीख मैंने नहीं लिखी है। **<u>सवा साल में मेरे और वीरेन्द्र तिवारी के शारीरिक संबंध बीस–पचीस बार हुये।</u>** मैंने डर की वजह से अपनी बात किसी को भी नहीं बतायी, न मैंने 100 नंबर पर फोन किया, न मैंने 1090 पर फोन किया, न वूमेन सेल से सहायता मांगी। अमराई गांव से मुंशी पुलिया 10–15 मिनट में आते। है। यह कहना सही है कि मैं अमराई गांव से वापस आने के बाद तीन साढ़े–तीन महीने अपनी मां के साथ रही। मैं बराबर थाने दौड़ती रही लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मैं प्रार्थना पत्र लेकर जाती थी, थाना इंदिरानगर, लेकिन नहीं ली गयी। इस मुद्दे तीन साढ़े तीन महीने 100 डायल, 1090 तथा वोमेन सेल में कोई फोन या शिकायत नहीं की। मेरी तहरीर में नशा देने वाली कोई बात नहीं लिखी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श क–1 में वीरेन्द्र ने चन्द्रिका देवी मंदिर में मेरे सिंदूर भरकर शादी कर ली, अपने साथ रखने लगा, यह बात प्रदर्श क–1 में नहीं लिखी है। **<u>यह</u>**

<u>**बात सही है कि दोनो मुल्जिमों के बताने पर मुझे पता लगा कि मेरे साथ गलत काम हुआ है।**</u> **गवाह को पर्चा सं०–13 दिनांक–30.09.16, जो कि मेरा तीसरा बयान है, उसमें लिखा है "वहां पर लगभग तीन महीने बाद मैं जीने से गिर पड़ी थी, तो मुझे ब्लीडिंग होने लगी और लगभग तीन महीने का बच्चा खराब हो गया था, मैंने किसी को नहीं कहा था और न ही मैंने कोई इलाज कराया।"** <u>**यह बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया था, यह उन्होंने कैसे लिख लिया था, इसकी वजह मैं नहीं बता सकती हूं, हो सकता है कि दरोगा जी ने अपनी मर्जी से लिखा हो।**</u> यह कहना सही है कि मेरा मजिस्ट्रेट के सामने 164 सी०आर०पी०सी० का बयान मेरे रिपोर्ट लिखाने के लगभग डेढ़ माह बाद लिखा गया है। गवाह को प्रदर्श क–2, 164 सी०आर०पी०सी० का बयान दिखाया व पढ़ाया गया "मेरे शादी का दबाव बनाने पर 5 अप्रैल, 2016 को वीरेन्द्र ने मुझे संजय व ड्राइवर अन्सार के साथ मिलकर किया। <u>**अन्सार ने सिर्फ मेरे कपड़े फाड़े थे, अंसार ने मेरे साथ पूरी घटना में अंसार ने मेरे साथ कोई भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किये थे। शारीरिक संबंध से मेरा आशय बलात्कार से है, न ही मेरे साथ उसके द्वारा कोई मारपीट भी की गयी।**</u> **दिनांक–5 अप्रैल, 2016 को मारपीट करने के बाद मुझे घर से दबाव बनाकर निकाल दिया और कहा कि नहीं जाओगी तो इससे भी बुरा करेंगें।** इसके बाद मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। मैं अपने जब घर गयी तो उससे पहले मैंने अपने भाई को मुंशी पुलिया पर बुलाया था। उसके साथ मैं अपनी मां के घर हैदरगढ़ चली गयी। मैं अपना सामान वहीं छोड़ दिया था। खाली हाथ गयी थी। <u>**मैं और मेरा भाई बस से गये थे। मैंने अपने भाई को घटना नहीं बतायी थी और किसी से भी नहीं बतायी थी।**</u> मुझे 5 अप्रैल 2016 के बाद से मेरी कोई भी मुलाकात मुल्जिमों से कभी नहीं हुयी। जब मैं पहली बार कोर्ट में आयी तब तीनो मुल्जिमों को देखा था। 5 अप्रैल 2016 के बाद लगातार मैं अपने घर पर माताजी के साथ रही। जब मैं घर पहुंची उसके दो दिन बाद घटना की जानकारी मैंने घर में दी थी। अब मुझे पता चला कि संजय तिवारी और वीरेन्द्र तिवारी सगे भाई हैं। यह बात मुझे पता लगी दोनो के अपने परिवार व बच्चे हैं। यह बात भी मुझे पता लगी कि संजय तिवारी की वास्तविक पत्नी है, उसके एक लड़की है, <u>**मैं संजय तिवारी के गांव रामपुर थाना–सुबेहा, जिला बाराबंकी, वीरेन्द्र मुल्जिम के साथ उसके घर गयी थी। यह कहना सही है कि मैं अमराई गांव में रहते–रहते संजय मुल्जिम के घर गयी थी। मैं करीब पन्द्रह मिनट रही। मेरी उसकी पत्नी से मुलाकात हुयी। यह बात सही है कि संजय तिवारी ने मेरे साथ कोई बुरा काम नहीं किया था**</u> **इसीलिये उसके भाई को कुछ नहीं बताया था।** मुझे वहां पर कोई अपनत्व नहीं थी इसीलिये मैंने वीरेन्द्र तिवारी के परिवार को कोई बात नहीं बतायी। **गवाह को प्रपत्र सं०–अ8/6 लीगल इक्जामीनेशन दिखाया गया। दिनांक–05.04.201 को संजय ने वीरेन्द्र और पीड़िता को एक साथ कमरे में बंद कर दिया, धमकी दी और मारपीट कर भगा दिया। गवाह ने सुनकर कहा कि यह सही लिखा है। यह कहना सही है कि पूरी घटना में समय व घटना का स्थान तहरीर में नहीं लिखाया है।** यह स्वयं कहा कि फर्स्ट फ्लोर का दूसरा कमरा है। जिस घर में मैं अमराई गांव में मैं रही थी, वह मकान संजय मुल्जिम का है या नहीं, मुझे नहीं पता है। यह भी मुझे नहीं पता कि उक्त मकान की संजय मुल्जिम के नाम रजिस्ट्री भी हो चुकी थी। यह बात सही है कि मैं उस

मकान में वीरेन्द्र तिवारी के साथ उसकी दबंगई पर रह रही थी। मैं किसी रामपाल को नहीं जानती हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि पीड़िता उर्फ .... गवाह और रामपाल के विरूद्ध दिनांक–20.05.16 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी थी। मुझे यह भी नहीं पता कि संजय मुल्जिम द्वारा दिनांक–23.05.2016 को एफ०आई०आर० लिखने के लिये स्पीड पोस्ट द्वारा एस०एस०पी० लखनऊ को एफ०आई०आर० भेजी थी। यह मुझे नहीं पता कि संजय मुल्जिम ने एक प्रार्थना पत्र 156(3) सी०आर०पी०सी० के तहत न्यायालय ए०सी०जे०एम०–VIII के यहां परिवाद दर्ज कराया है, जो कि विचाराधीन है। यह कहना गलत है कि संजय मुल्जिम अपना मकान पीड़िता व वीरेन्द्र जबरदस्ती कब्जा करके रह रहे थे, खाली कराना चाहते थे। यह कहना गलत है कि दिनांक–19.05.16 को शाम लगभग 5.00 बजे संजय मुल्जिम के घर पीड़िता व रामपाल व दो–तीन अन्य लोग मकान खाली करवाने के लिये गाली–गलौज करने लगे। लात–घूंसों से मारपीट की, लैपटाप, मोबाइल व कीमती सामान अपने साथ उठा ले गये। यह कहना गलत है कि मैंने संजय तिवारी का नाम द्वेषभावना से वीरेन्द्र तिवारी सगे भाई के साथ डाल दिया और जो मैंने प्रदर्श क–1 एफ०आई०आर० लिखायी है, वह पुलिस सह से कथित घटना के साढ़े तीन महीने बाद लिखायी है। यह भी कहना गलत है कि मैंने सोच–समझकर तथा पुलिस की राय से 164 सी०आर०पी०सी० का बयान लिखाया। यह कहना सही है कि मैं पुलिस के साथ 164 सी०आर०पी०सी० बयान लिखाने न्यायालय में आयी लेकिन बयान नहीं लिखा गया। यह भी कहना गलत है कि मेरे साथ कोई भी घटना घटित न हुयी हो और न ही मेरे साथ कोई गलत काम हुआ हो।

अभियोजन **साक्षी सं०–2 विष्णु कुमार तिवारी** ने सशपथ बयान किया कि मेरी बहन पीड़िता को वीरेन्द्र तिवारी पुत्र चन्द्रभान तिवारी, निवासी–रामपुर, थाना–सुबेहा, जनपद–बाराबंकी व उनके भाई संजय तिवारी जो हैदरगढ़ में प्रापर्टी का आफिस खोले थे और दिनांक–29.03.2015 को प्लाट दिलाने के लिये अमराई गांव लखनऊ ले गये थे, वहां पर श्यामनगर कालोनी में अपने मकान में रखकर मेरी बहन/पीड़िता के साथ बिना उसके सहमति के जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया तथा मेरी बहन को दो–तीन दिन तक कमरे में बंद रखते थे। मेरी बहन ने पुलिस में शिकायत करने को कहा तब उन लोगो ने वीरेन्द्र तिवारी व संजय तिवारी ने मुझे व मेरी बहन पीड़िता को मार डालने की धमकी दिया था और बहन को मारा–पीटा भी था। **मेरी बहन द्वारा शादी के लिये दबाव बनाने पर दिनांक–05.04.2016 को वीरेन्द्र तिवारी व संजय तिवारी ने कमरे में बंद करके मारा–पीटा था और उनके ड्राइवर मो० अंसार ने मेरी बहन पीड़िता के कपड़े फाड़ दिये थे।** वीरेन्द्र तिवारी व संजय तिवारी ने उसके साथ दुष्कर्म करके घर से निकाल दिया था। किसी तरह मेरी बहन घर आयी। सारी बाते बहन ने मुझसे व मम्मी से बतायी थी। **घटना के बाद मेरी बहन पीड़िता की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गयी थी, ठीक होने पर दिनांक–01.07.2016 को थाने पर जाकर मेरी बहन ने वीरेन्द्र तिवारी व संजय तिवारी के विरूद्ध मुकदमा, थाना–इंदिरानगर लखनऊ में पंजीकृत कराया** था। मेरी बहन का मेडिकल व मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 सी०आर०पी०सी० का बयान भी हुआ था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

जिरह द्वारा अभियुक्तगण संजय व अन्सार की ओर से–

आज पृष्ठ–1 व पृष्ठ–2 पर जो बयान न्यायालय में दिया है वह मेरी बहन ने जो बताया वह दिया है। मैं घटना के पहले किसी मुल्जिम को नहीं जानता था। पी०डब्लू०–1 पीड़िता मेरी सगी बहन है। पीड़िता जब अमराई गांव प्लाट नं०–27 में लगभग एक साल रही थी, तब उस दरम्यान मैं कभी भी उक्त प्लाट नं०–27 पर नहीं गया। मेरी बहन पीड़िता से इस एक साल के दौरान में मोबाइल फोन से आपस में बातचीत होती रहती थी। मेरी बहन घटना के पूर्व लखनऊ में जाब करती थी तथा मेरे गांव लोनीकटरा जहां मेरी मां भी रहती है, वहां आती–जाती रहती थी। मुझे यह बात कि मेरी बहन पीड़िता कहां रहती थी, मुझे यह भी नहीं पता है कि लखनऊ में मेरी बहन ने किराये का मकान या कमरा लिया हो। **मैं कभी भी लखनऊ उसके पास नहीं आया हूं।** कथित घटना के दो तीन साल पहले से मेरी बहन पीड़िता नौकरी कर रही थी। दिनांक–23.05.15 को लोनीकटरा, जिला बाराबंकी से लखनऊ आयी थी, फिर दिनांक–23.05.15 को घर वापस नहीं आयी। **दिनांक–05.04.16 को दोपहर के बाद मेरी बहन ने मुझे फोन किया और पालीटेक्निक चौराहा, फैजाबाद रोड पर बुलाया। मैं मोटरसाइकिल से अकेले पालीटेक्निक चौराहे पर दोपहर में आया, तो मेरी बहन वहां पर मौजूद थी। मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और बिठाकर उसे मैं लोनीकटरा, बाराबंकी ले गया।** यह कहना गलत है कि मैं मोटरसाइकिल लेकर नहीं आया और पालीटेक्निक चौराहे नहीं गया। पालीटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया चार–पांच किलोमीटर दूर होगी। मैं दिनांक–05.04.2016 को जब बहन को लेने आया था तो मैं मुंशी पुलिया नहीं गया, लोनीकटरा से हैदरगढ़ करीब दस किलोमीटर से ऊपर है। मेरा अथवा मेरी मां का घर हैदरगढ़ में नहीं है। मैं अपनी बहन को लेकर लोनीकटरा आया। मुझे समस्त घटना की जानकारी **मेरी बहन ने जब मैं उसको मोटरसाइकिल से लेने गया था, जहां वह मिली थी वहीं पर बता दी थी। हम दोनो लोग दिनांक–05.04.2016 को इंदिरानगर थाने नहीं गये थे। हम दोनो लोग दिनांक–06.04.16 को इंदिरानगर थाने गये थे।** मेरी बहन ने थाना इंदिरानगर, लखनऊ में एक प्रार्थना पत्र एफ०आई०आर० दर्ज कराने हेतु दे दिया था। प्रार्थना पत्र मेरी बहन ने लिखा था। उस प्रार्थना पत्र में घटना का वर्णन कर दिया था। फिर हम दोनो लोग प्रार्थना पत्र देकर लोनीकटरा आ गये, उसके बाद मेरी बहन ने परसू नहीं किया। यह कहना गलत है कि पीड़िता मेरी सगी बड़ी बहन है, इस कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं। **यह भी कहना गलत है कि मैं अपनी बड़ी बहन को पालीटेक्निक चौराहे पर मोटरसाइकिल से नहीं गया हूं। यह कहना सही है कि मैंने किसी प्रकार की कोई घटना नही देखी है। यह भी कहना सही है कि मैं अपनी बहन पीड़िता के बताये जाने के आधार पर न्यायालय में गवाही दे रहा हूं।**

जिरह द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी की ओर से– मेरे पिता की मृत्यु हुये लगभग 9–10 वर्ष हो गये हैं। मेरी बहन के पास कारोबार–– थी। स्वयं कहा मैं भी गाड़ी चलाता हूं, मेरी बहन ने एम्बेसडर खरीदी थी, यह सही है, किन्तु मैं नहीं चलाता था। सचिवालय की नीलामी से गाड़ी पैसा देकर ली थी। यह गाड़ी रूपया उधार लेकर नहीं खरीदी गयी थी। जब गाड़ी ली गयी तो घर में

एम्बेसडर चलाने योग्य मैं ही था। मेरी बहन मेरी आर्थिक मदद नहीं करती थी। मैं नौकरी नहीं करता, मामा के ट्रको को चलाता हूं। मेरे पास कामर्शियल लाइसेंस है, मैं दरोगा हरीशंकर और रामपाल यादव को नहीं जानता हूं, न बहन के मार्फत जानता हूं। मेरी बहन ने हरिशंकर से लेन–देन की कोई बात भी मुझे नहीं बतायी। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि दरोगा हरीशंकर से पैसा लेकर बहन ने यह एम्बेसडर कार खरीदी हो और उसकी देनदारी आज भी हरीशंकर की बकाया हो। यह कहना गलत है कि दरोगा हरीशंकर और दरोगा रामफल यादव मेरी बहन के मेली हो। **यह सही है कि मेरी बहन का राजनैतिक रसूख था। बाराबंकी हैदरगढ़ में प्रभाव था, जिलाध्यक्ष थी।** यह कहना कहना गलत है कि उस प्रभाव के कारण मेरी बहन ने रामपाल यादव से वीरेन्द्र तिवारी के खिलाफ मुकदमे लिखाये हों। **मैंने कभी अपनी मां को अपने घर वीरेन्द्र तिवारी और बहन को टीका करते हुये पैंसो को देते हुये या विदा करते कभी नहीं देखा।** यह कहना गलत है कि मेरी बहन और वीरेन्द्र तिवारी के बहुत मधुर संबंध हों और उनका मेरे घर आना–जाना हो। मेरी बहन और वीरेन्द्र के साथ रहने की बात घटना मेरे संज्ञान में आयी थी। मैंने उस संज्ञान के संबंध में दावा दाखिल नहीं किया, मैंने माननीय हाइकोर्ट में हैबियस कार्पस दाखिल नहीं की। **मेरी बहन और वीरेन्द्र के साथ रहने की समयावधि लगभग 10–11 माह होगी। मेरी बहन और वीरेन्द्र तिवारी वयस्क थे, अपना भला–बुरा समझते थे, यह कहना सही है।** यह कहना गलत है कि इन संबंधो की जानकारी और संरक्षण मेरी माता को था। यह कहना गलत है कि दरोगा हरिशंकर और रामफल यादव के प्रभाव मे मेरी बहन ने यह मुकदमा लिखाया हो।

25. <u>साक्ष्य का विश्लेषण–</u>

प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के काफी विलम्ब से दिनांक 01.07.2016 को लिखाया है। जिसका स्पष्टीकरण यह दिया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नही थी, परन्तु अपनी जिरह मे मानसिक स्थिति ठीक न होना गलती से लिखा देना कथित किया है। पीड़िता ने अपने तहरीर मे यह कथन किया है कि **अमराई गांव के प्लाट सं०–26 श्यामनगर कालोनी, भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर मे ले** गये **जहां पर अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी द्वारा प्रार्थिनी से जबरदस्ती बुरा काम किया गया**। प्रार्थिनी ने विरोध स्वरूप थाने जाने के लिये जब वहां से जाने लगी तब संजय तिवारी और वीरेन्द्र तिवारी द्वारा मान–मनौव्वल किया जाने लगा और इस बात का आश्वासन दिया गया कि धर्म पत्नी बना लूंगा। प्रार्थिनी के पास इज्जत जाने के बाद और कोई चारा न था, **वीरेन्द्र तिवारी द्वारा प्रार्थिनी के साथ का स्वांग रचा गया** व प्रार्थिनी उपरोक्त के मकान अमराई गांव में रहने लगी। जब प्रार्थिनी को धीरे–धीरे पता चला कि यह झूठा आदमी है, तब उस**ने विरोध किया व शादी का दबाव बनाया तो वीरेन्द्र तिवारी अपने भाई संजय तिवारी, ड्राइवर अंसार सिद्दीकी से कहकर मेरे साथ बुरा काम करवाया** तथा **प्रार्थिनी को 8 अप्रैल 2016 को घर से धक्का देकर तथा जान से मारने की धमकी दे कर निकाल दिया**। प्रार्थिनी की **मानसिक स्थिति उस घटना से खराब हो गयी थी, वह घर पर रहकर अपने को नार्मल करती रही।** जब ठीक हुयी तब घटना की सूचना देने थाने पर आयी।

जबकि उसने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० मे यह कथन किया है कि मैं अकेले प्लाट के संबंध में 25, 26 मार्च 2015 को गई। प्लाट की बात की। 28 मार्च 2015 को वह पहली बार मुझे अहिमामऊ में प्लाट दिखाने लाया। फिर वह प्लाट महंगा लगा, तो उसने बताया कि उसके घर अमराई गांव में श्याम नगर में प्लाट नंबर 26 के सामने एक प्लाट है, वह देख लो। 29.03. 2015 को वह मुझे लखनऊ में घुमाते हुए प्लाट दिखाने ले गया। जब प्लाट पर पहुंचे तो शाम के 7–8 बज चुके थे। उसने कहा वापस कहां जाओगी। मेरे घर ही रुक जाओ, मैंने कहा आपके घर में कोई नहीं रहता, मुझे पॉलिटेक्निक छोड़ दो तो वह नहीं माना। जिद करने पर मैं वहीं रुक गई। फिर वही खाना खाया। **मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो देखा मेरे कपड़े उतरे पड़े हैं। दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया और कहा हम दोनों ने रात में भी तुम्हारे साथ बलात्कार किया है। दूसरा उसका भाई संजय था। मैंने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन्होंने मुझे मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी।** फिर मैंने भाई को बताया। भाई ने दबाव डाला तो वीरेंद्र तिवारी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मुझसे चंद्रिका देवी मंदिर में सिंदूर भरकर शादी कर ली। अपने साथ रखने लगा। उसका भाई उसके साथ रहता था पर वह कुछ बोलता नहीं था। वीरेंद्र मुझे कमरे में दो–दो तीन–तीन दिन बंद रखता और चला जाता था। उन दोनों की शादी हो रखी है और परिवार गांव में रहता है। मैंने विरोध किया तो वीरेंद्र व संजय तिवारी ने मुझे मारा पीटा। **मेरे शादी का दबाव बनाने पर 5 अप्रैल 2016 को वीरेंद्र ने मुझे संजय और ड्राइवर अंसार सिद्दीकी के साथ मिलकर कमरा मे बंद कर मारा। अंसार ने मेरे कपड़े फाड़े और वीरेंद्र और संजय ने बलात्कार किया। वीरेंद्र अप्राकृतिक कुकर्म भी किया।** फिर उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया फिर मैं ऑटो से पॉलिटेक्निक आई, फिर हैदरगढ़ के लिए घर गई। मम्मी को भाई को बताया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेरे घर मुझे लेकर भी जाता था, मुझे उससे जान का खतरा है।"

न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा मे इस साक्षी ने कथन किया कि दिनांक–23.03.2015 को लखनऊ में अहिमामऊ में मुझे एक प्लाट दिखाया। फिर कहा कि दिनांक–23.04.2015 थी, तो अपने घर के सामने वाली जमीन दिखायी और अपने घर के बगल वाला प्लाट दिखाया। फिर दिनांक–25 तारीख को उसी के मालिक से मिलवाने लाये थे, तो उसने कहा कि मेरा ही प्लाट है। रात मे आठ–साढ़े आठ बज गया था, तो उन्होंने कहा कि यही रुकिये सुबह प्लाट दिखा देंगें और आपके घर छोड़ देंगें। **फिर वीरेन्द्र तिवारी ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। और चाय पिलाया था, बलात्कार के पहले ,जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया था। फिर सुबह जब मुझको होश आया तो मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और प्राइवेट पार्ट पर दर्द हो रहा था। फिर मैंने वीरेन्द्र तिवारी से कहा हम थाने जायेंगें, आपने मेरे साथ बलात्कार किया। तो वीरेन्द्र तिवारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि हम आपसे शादी कर लेंगें। फिर हम लोग चन्द्रिका देवी मंदिर में गये और वीरेन्द्र तिवारी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। मैं अपने मन से नहीं गयी थी। वीरेन्द्र तिवारी जबरदस्ती ले गये थे।** फिर वीरेन्द्र तिवारी अमराई गांव में रहता था और मुझे साथ रखता था और बंद कमरे में मारता–पीटता था। **फिर जब मुझे पता चला कि इसके बीवी बच्चे भी हैं**

और शादी–शुदा है, तो मैंने कहा कि मंदिर के शादी की कोई मान्यता नहीं है और फिर कोर्ट में शादी करो। फिर वीरेन्द्र तिवारी ने कहा कि हम कोर्ट में शादी नहीं करेंगें फिर दिनांक–5 अप्रैल, 2016 को वीरेन्द्र तिवारी ने अपने भाई संजय तिवारी व वीरेन्द्र तिवारी का ड्राइवर अंसार सिद्दीकी को कमरे में मेरे साथ बंद कर दिया। अंसार सिद्दीकी ने मेरे कपड़े फाड़े, संजय तिवारी ने बलात्कार किया। उसके बाद वीरेन्द्र तिवारी ने भी मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद दिनांक–08.04.2016 को घर से भगा दिया और कहा कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगें। अगर कहीं जाओगी और मेरे खिलाफ कुछ करोगी तो तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। **अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी ने मेरे साथ गुदा मैथुन व अप्राकृतिक संबंध भी बनाया।**

यहां यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना जो कि **दिनांक–23.04.2015** व **दिनांक–08.04.2016 को बताई गई है, से** काफी विलम्ब से दिनांक 01.07.2016 को दर्ज कराई गई है। विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर उसका महत्व कम हो जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने पर उसे ध्यान से और सावधानी से देखे जाने की आवश्यकता होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने पर उसका क्या प्रभाव होता है, इस सम्बन्ध मे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई निम्न विधि व्यवस्थाये प्रासंगिक है–

Thulia Kali vs The State Of Tamil Nadu on 25 February, 1972

Equivalent citations: 1973 AIR 501, 1972 SCR (3) 622

First information report in a criminal case is an extremely vital and valuable piece of evidence for the purpose of corroborating the oral evidence adduced at the trial. The importance of the above report can hardly be overestimated from the standpoint of the accused: The object of insisting upon prompt lodging of the report to the police in respect of commission of an offence is to obtain early information regarding the circumstances in which the crime was committed, the names of the actual culprits and the part played by them as well as names of eye witnesses present at the scene of occurrence. Delay in lodging the first information report quite often results in embellishment which is a creature of afterthought. On account of delay, the report not only gets bereft of the advantage of spontaneity, danger creeps in of the introduction of coloured version, exaggerated account or concocted story As a result of deliberation and consultation. It is, therefore, essential that the delay in the lodging of the first information report should be satisfactorily explained.

Prakash Chandra Vs. State of Himachal Pradesh, AIR 2019 SC 1037 (Three-Judge Bench).

22(B). Seven months' delayed FIR for offences u/s 376 IPC disbelieved by the Supreme Court: Accused had allegedly committed rape on the prosecutrix on point of knife. FIR was lodged with the police after a delay of seven months which affected the possibility of medical examination in which signs of resistence or injuries could have been revealed. Testimony of the prosecutrix was not corroborated by the other witnesses. The labourers supposed to haunt place on the common path. had not heard hue and cry of the prosecutrix though the incident had taken place on the common path. The medico-legal report had opined that the prosecutrix was habitual of sexual intercourse. The Supreme Court held that the evidence of the prosecution fell short of the test of reliability and acceptability. Conviction of the accused based on the testimony of the prosecutrix was set aside by the Supreme Court.

यदि हम देखे तो पूरा मामला एकमात्र साक्षी पीड़िता की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। यहां यह देखना है कि पीड़िता के द्वारा दिया गया साक्ष्य क्या अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोपित आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करता है। पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि वह प्रॉपर्टी देखने अभियुक्तगणों वीरेंद्र तिवारी व उसके भाई संजय तिवारी के पास गई थी, परंतु यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय परिवेश में कोई लड़की जबकि उसका सगा भाई उसके साथ रहता हो तो वह प्रॉपर्टी देखने अकेले जाए, यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभि० वीरेंद्र तिवारी द्वारा उसके साथ विवाह का स्वांग रचा गया परंतु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। वह अपने जिरह में कह चुकी है कि संजय तिवारी व वीरेंद्र तिवारी दोनों शादीशुदा है। दोनों के बच्चे हैं, वह यह जानती थी कि दोनों विवाहित हैं, उसके बावजूद वह अभियुक्त वीरेंद्र तिवारी के साथ एक वर्ष से ज्यादा समय तक उसके साथ रही है। उसने अभि० संजय तिवारी व अंसार की ओर से किए गए जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसके अभि० वीरेंद्र तिवारी के साथ 20–25 बार संबंध बने हैं। जब उसने कथन किया कि मार्च 2015 में उसे प्लाट दिखाने के बहाने अभियुक्त वीरेंद्र तिवारी ने नशा देकर उसके साथ बलात्कार किया तो उसके द्वारा कोई प्रतिरोध ना करना अपने परिवार वालों को ना बताना उसका आचरण इस प्रकार दर्शित करता है कि उस शारीरिक संबंध के लिए उसकी स्वयं की सहमति थी। उसने मेडिकल करने वाले डॉक्टर के समक्ष स्वयं कहा कि उसके साथ कोई भी अप्राकृतिक चीज नहीं हुई है। उसका भाई Hearsay Witness है। उसने स्वयं कहा कि उसने न कुछ देखा और न वह कुछ जानता है। वह जो कुछ जानता है वह उसकी बहन पीड़िता के बताने के अनुसार जानता है। पीड़िता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि ड्राइवर अंसार ने कुछ भी नहीं किया। संजय के बारे में भी उसने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने कुछ भी नहीं किया। पीड़िता को पूरी शिकायत अभि० वीरेंद्र तिवारी से है, परंतु वह उसके साथ लगभग 1 वर्ष से ज्यादा समय रही। वह इस दौरान उसके साथ अपने मां के घर आती जाती रही है वह अभियुक्त वीरेंद्र तिवारी के साथ उसके घर भी गई है। जहां उसकी पत्नी से वह

मिल चुकी है उसने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके साथ उसकी बातचीत है और संबंध सामान्य है। पीड़िता घटना के समय 35 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिला थी। उसे अपने कार्यों के परिणाम की जानकारी होना विधितः उपधारित किया जा सकता है। वह स्वेच्छया अभियुक्त वीरेंद्र तिवारी के घर उसके साथ 1 वर्ष से अधिक समय तक रही है जिस दौरान दोनों के मध्य शारीरिक संबंध बने हैं। इस सम्बन्ध मे माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्न विधि व्यवस्था अवलोकनीय है–

Naim Ahamed v. State (NCT of Delhi) 2023 Cri. L.J. 2785 Para 14,17,19,21

9. For the better appreciation of the submissions made by the learned counsels for the parties, the relevant provisions contained in Section 90 and Section 375 of IPC, are reproduced below:-

"90. Consent known to be given under fear or misconception.—A consent is not such a consent as it intended by any section of this Code, if the consent is given by a person under fear of injury, or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows, or has reason to believe, that the consent was given in consequence of such fear or misconception; or Consent of insane person.—if the consent is given by a person who, from unsoundness of mind, or intoxication, is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent; or Consent of child.—unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under twelve years of age.

14. In **Uday vs State of Karnataka 4 (2003) 4 SCC 46** , the prosecutrix aged about 19 years had given her consent for having a sexual intercourse with the accused with whom she was deeply in love, and it was alleged by the prosecution that the prosecutrix continued to meet the accused as the accused had given her a promise to marry her on a later date. The prosecutrix became pregnant and the complaint was lodged on failure of the accused to marry her. This Court while holding that under the circumstances, the consent could not be said to have been given under a misconception of fact under Section of IPC, held in para 21 and 23 as under :-

“21. It therefore appears that the consensus of judicial opinion is in favour of the view that the consent given by the prosecutrix to sexual intercourse with a person with whom she is deeply in love on a promise that he would marry her on a later date, cannot be said to be given under a misconception of fact. A false promise is not a fact within the meaning of the Code. We are inclined to agree with this view, but we must add that there is no straitjacket formula for determining whether consent given by the prosecutrix to sexual intercourse is voluntary, or whether it is given under a misconception of fact. In the ultimate analysis, the tests laid down by the courts provide at best guidance to the judicial mind while considering a question of consent, but the court must, in each case, consider the evidence before it and the surrounding circumstances, before reaching a conclusion, because each case has its own peculiar

facts which may have a bearing on the question whether the consent was voluntary, or was given under a misconception of fact. It must also weigh the evidence keeping in view the fact that the burden is on the prosecution to prove each and every ingredient of the offence, absence of consent being one of them.

23. Keeping in view the approach that the court must adopt in such cases, we shall now proceed to consider the evidence on record. In the instant case, the prosecutrix was a grown-up girl studying in a college. She was deeply in love with the appellant. **She was, however, aware of the fact that since they belonged to different castes, marriage was not possible.** In any event the proposal for their marriage was bound to be seriously opposed by their family members. She admits having told so to the appellant when he proposed to her the first time. **She had sufficient intelligence to understand the significance and moral quality of the act she was consenting to. That is why she kept it a secret as long as she could. Despite this, she did not resist the overtures of the appellant, and in fact succumbed to them. She thus freely exercised a choice between resistance and assent. She must have known the consequences of the act, particularly when she was conscious of the fact that their marriage may not take place at all on account of caste considerations.** All these circumstances lead us to the conclusion that she freely, voluntarily and consciously consented to having sexual intercourse with the appellant, and her consent was not in consequence of any misconception of fact."

21. In the instant case, the prosecutrix who herself was a married woman having three children, could not be said to have acted under the alleged false promise given by the appellant or under the misconception of fact while giving the consent to have sexual relationship with the appellant. Undisputedly, she continued to have such relationship with him at least for about five years till she gave complaint in the year 2015. Even if the allegations made by her in her deposition before the court, are taken on their face value, then also to construe such allegations as 'rape' by the appellant, would be stretching the case too far. The prosecutrix being a married woman and the mother of three children **was matured and intelligent enough to understand the significance and the consequences of the moral or immoral quality of act she was consenting to.** Even otherwise, if her entire conduct during the course of such relationship with the accused, is closely seen, it appears that she had betrayed her husband and three children by having relationship with the accused, for whom she had developed liking for him. She had gone to stay with him during the subsistence of her marriage with her husband, to live a better life with the accused. Till the time she was impregnated by the accused in the year 2011, and she gave birth to a male child through the loin of the accused, she did not have any complaint against the accused of he having given false promise to marry her or having cheated her. **She also visited**

the native place of the accused in the year 2012 and came to know that he was a married man having children also, still she continued to live with the accused at another premises without any grievance. She even obtained divorce from her husband by mutual consent in 2014, leaving her three children with her husband. It was only in the year 2015 when some disputes must have taken place between them, that she filed the present complaint. **The accused in his further statement recorded under Section 313 of Cr.P.C. had stated that she had filed the complaint as he refused to fulfill her demand to pay her huge amount. Thus, having regard to the facts and circumstances of the case, it could not be said by any stretch of imagination that the prosecutrix had given her consent for the sexual relationship with the appellant under the misconception of fact, so as to hold the appellant guilty of having committed rape within the meaning of Section 375 of IPC.**

22. In that view of the matter, the accused deserves to be acquitted from the charges levelled against him.

पीड़िता द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वह अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी के साथ आती जाती थी, पार्टी में भी जाती थी और घर भी जाती थी। पीड़िता कांग्रेस सेवा दल की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही है। उसने जिला कचहरी में भी कार्य किया है। उसके द्वारा किया गया कथन इसलिए भी विश्वसनीय नहीं है कि यदि 5 अप्रैल 2016 को उसके द्वारा कथित सामूहिक बलात्कार उसके साथ किया गया होता तो वह स्वयं थाने पर जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराती परंतु प्रस्तुत प्रकरण में उसके द्वारा कथित घटना के तुरन्त पश्चात थाने पर जाकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। उसके द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपने बयान अंतर्गत धारा 164, व न्यायालय के समक्ष दिए गए अपनी मुख्य परीक्षा में वह जिरह में कथन किया गया है कि उसे जबरदस्ती घर से निकल गया, यदि उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता तो वह स्वयं वहां न रहती और इसकी रिपोर्ट थाने मे दर्ज कराती। पीड़िता कोई पर्दानशीन महिला नही है। वह राजनीतिक रुप से सक्रिय महिला है। अतः इसका यह कथन की उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ था, यह तथ्य विश्वसनीय नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना से लगभग डेढ़ माह बाद दिनांक 01.07.2016 को दर्ज कराया गया है, उसके भी एक माह बाद उसका बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। विवेचक द्वारा तीन बार उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना विलंब से दर्ज करने का कारण पीड़िता ने अपने तहरीर में मानसिक रूप से अस्वस्थ होना दर्शाया है, परंतु अपनी जिरह में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा गलती से यह तथ्य अंकित कर दिया गया था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, क्योंकि वह अपने उक्त कथन को बदल नहीं सकती, इसलिए अब वह कुछ नहीं कर सकती। पीड़िता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके पास मोबाइल था, उसने जिरह मे उसका मोबाईल नंबर भी बताया है। मोबाइल होने के बावजूद उसके द्वारा ना तो परिवार को ना तो

पुलिस अधिकारी को घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज न करना और ना बताना यह दर्शित करता है कि जो भी संबंध अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी से बने वह उसकी सहमति से बने थे। पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। उसने प्रत्येक स्तर पर अपने बयान मे सुधार किया है। इस सम्बन्ध मे माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्न विधि व्यवस्था अवलोकनीय है–

Sunil Kumar Sambhudayal Gupta and others versus State of Maharashtra Criminal Appal No. 891 of 2004..

15. Where the omission(s) amount to a contradiction, creating a serious doubt about the truthfulness of a witness and other witness also make material improvements before the court in order to make the evidence acceptable, it cannot be safe to rely upon such evidence.

17. In case, the complainant in the FIR or the witness in his statement under Section 161 Cr.P.C., has not disclosed certain facts but meets the prosecution case first time before the court, such version lacks credence and is liable to be discarded.

Jagat Pal and others versus State of UP Criminal Appeal 612/ 1996

22. In **State of Rajasthan vs Rajendra Singh, (2009) 11 SCC 106,** it has been held that where the omission(s) amount to a contradiction, creating a serious doubt about the truthfulness of a witness and other witness also make material improvements before the court in order to make the evidence acceptable, it cannot be safe to rely upon such evidence. Similarly, in State Represented by Inspector of Police v Sarvanan, AIR 2009 SC 152, it has been remarked that while appreciating the evidence, the court has to take into consideration whether the contradictions/omissions had been of such magnitude that they may materially affect the trial.

28. On the basis of above discussion, we are of the view that the improvement made during trial by the witness which is just to elaboraterate and explain the prosecution version and does not materially alter the version is normal as it may take place because of lapse of time, nervousness and the ability of the witness to obsorve, memorize and reproduce. If the witness is trustworthy and credit worthy, the same becomes insignificant. But, where the witness has changed his version and has narrated a new set of facts which neither finds mention in FIR nor in his statement recorded by IO under Section 161 CrPC and which changes the nature and character of his evidence, the evidence becomes significantly contradictory and such improvement shatters his credibility as witness. It amounts to material contradiction and improvement and such evidence is not acceptable and should be discarded.

जहां तहरीर में सिर्फ अभियुक्त वीरेंद्र तिवारी के द्वारा जबरदस्ती बुरा काम करना कथित किया है, वही अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त वीरेंद्र तिवारी व अभियुक्त संजय तिवारी के द्वारा जबरदस्ती बुरा काम करना कथित किया है। दो सगे भाई एक

साथ गलत काम करें यह असंभव तो नहीं परंतु कुछ हद तक अविश्वसनीय है, अतः यह आवश्यक है उपरोक्त साक्ष्य/कथन को अधिक ध्यान से देखा जाये और उसकी सच्चाई को परखे जाने की आवश्यकता होती है। तहरीर में पीड़िता द्वारा ना तो कोई दिनांक और ना समय बताया गया है। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में उसके द्वारा यह कहा गया है कि उसने अपने भाई को बताया कि उसके साथ अभियुक्त वीरेंद्र तिवारी व अभियुक्त संजय तिवारी ने उसके साथ गलत किया तो भाई ने दबाव बनाया तो शादी के लिए तैयार हो गए जबकि भाई ने न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान मे कुछ भी जानकारी होने से इनकार किया है। पीड़िता ने अपनी जिरह मे स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि संजय तिवारी ने मेरे साथ कोई बुरा काम नहीं किया था इसीलिये उसके भाई को कुछ नहीं बताया था। मुझे वहां पर कोई अपनत्व नहीं थी इसीलिये मैंने वीरेन्द्र तिवारी के परिवार को कोई बात नहीं बतायी। तहरीर मे कमरे मे बन्द रखने की कोई बात नही कथित किया, प्रथम बार उक्त बात धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में उसके द्वारा कहा गया है। तहरीर मे विवाह के सम्बन्ध मे आश्वासन की बात लिखी है, जबकि 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में यह कथन किया कि मैंने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन्होंने मुझे मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी। फिर मैंने भाई को बताया। भाई ने दबाव डाला तो वीरेंद्र तिवारी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मुझसे चंद्रिका देवी मंदिर में सिंदूर भरकर शादी कर ली। अपनी मुख्य परीक्षा मे पीड़िता ने यह कथन किया कि फिर वीरेन्द्र तिवारी ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। और चाय पिलाया था, बलात्कार के पहले ,जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया था। फिर सुबह जब मुझको होश आया तो मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और प्राइवेट पार्ट पर दर्द हो रहा था। फिर मैंने वीरेन्द्र तिवारी से कहा हम थाने जायेंगें, आपने मेरे साथ बलात्कार किया। तो वीरेन्द्र तिवारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि हम आपसे शादी कर लेंगें। फिर हम लोग चन्द्रिका देवी मंदिर में गये और वीरेन्द्र तिवारी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। मैं अपने मन से नहीं गयी थी। वीरेन्द्र तिवारी जबरदस्ती ले गये थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि नशीला पदार्थ मिलाने की बात न तो तहरीर मे है और न बयान अं० धारा 164 द०प्र०सं० मे ही है।

तहरीर मे प्रकृति विरुद्ध दुष्कर्म का कोई आरोप नही है, प्रकृति विरुद्ध दुष्कर्म की बात प्रथम बार धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में आई है, जिसकी पुष्टी उसके मेडिकल रिपोर्ट से व उसका मेडिकल करने वाले डॉक्टर के बयान से नही होता है। पीड़िता के मेडिकल मे चोट का कोई निशान नही पाया गया। धारा–342 का अपराध अभियुक्तगणों के विरुद्ध इसलिए नहीं बनता है कि वह अभियुक्त वीरेंद्र तिवारी के साथ आती जाती थी वह डॉक्टर के यहां भी उसके साथ गई थी अभियुक्तगणो द्वारा उसे गाली देना जान से मारने की धमकी देना यह तथ्य भी विश्वसनीय नहीं है।

पीड़िता स्टर्लिंग विटनेस की श्रेणी में नहीं आती है। स्टर्लिंग विटनेस के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न विधि व्यवस्था अवलोकनीय है–

Rai Sandeep alias Deepu v State of NCT of Delhi

15. In our considered opinion, the 'sterling witness' should be of a very high quality and caliber whose version should, therefore, be unassailable. The Court considering the version of such witness should be in a position to accept it for its face value without any hesitation. To test the quality of such a witness, the status of the witness would be immaterial and what would be relevant is the truthfulness of the statement made by such a witness. What would be more relevant would be the consistency of the statement right from the starting point till the end, namely, at the time when the witness makes the initial statement and ultimately before the Court. It should be natural and consistent with the case of the prosecution qua the accused. There should not be any prevarication in the version of such a witness. The witness should be in a position to withstand the cross- examination of any length and howsoever strenuous it may be and under no circumstance should give room for any doubt as to the factum of the occurrence, the persons involved, as well as, the sequence of it. Such a version should have co-relation with each and everyone of other supporting material such as the recoveries made, the weapons used, the manner of offence committed, the scientific evidence and the expert opinion. The said version should consistently match with the version of every other witness. It can even be stated that it should be akin to the test applied in the case of circumstantial evidence where there should not be any missing link in the chain of circumstances to hold the accused guilty of the offence alleged against him. Only if the version of such a witness qualifies the above test as well as all other similar such tests to be applied, it can be held that such a witness can be called as a 'sterling witness' whose version can be accepted by the Court without any corroboration and based on which the guilty can be punished. To be more precise, the version of the said witness on the core spectrum of the crime should remain intact while all other attendant materials, namely, oral, documentary and material objects should match the said version in material particulars in order to enable the Court trying the offence to rely on the core version to sieve the other supporting materials for holding the offender guilty of the charge alleged.

State (GNCT of Delhi) vs Vipin@ Lalla

10. Although it is absolutely true that in the case of rape, conviction can be made on the sole testimony of the prosecutrix as her evidence is in the nature of an injured witness which is given a very high value by the Courts. But nevertheless when a person can be convicted on the testimony of a single witness the Courts are bound to be very careful in examining such a witness and thus the testimony of such a witness must inspire confidence of the Court. The testimony of the prosecutrix in the present case thus has failed to inspire absolute confidence of the Trial Court, the High Court and this Court as well.

Raja & Ors vs State Of Karnataka on 4 October, 2016 (2016) 10 SCC 506.

24. This Court in Raju (supra), while reiterating that the evidence of the prosecutrix in cases of rape, molestation and other physical outrages is to be construed to be that of an injured witness so much so that no corroboration is necessary, ruled that an accused must also be protected against the possibility of false implication. It was underlined that the testimony of the victim in such cases, though commands great weight but the same, cannot necessarily be universally and mechanically accepted to be free in all circumstances from embellishment and exaggeration. It was ruled that the presumption of absence of consent of the victim, where sexual intercourse by the accused is proved as contemplated in Section 114A of the Evidence Act, was extremely restricted in its application compared to the sweep and ambit of the presumption under Section 113 A and Section 113B of the Indian Evidence Act. It was exposited that insofar as the allegation of rape is concerned, the evidence of the prosecutrix must be examined as that of a injured witness whose presence at the spot is probable but it can never be presumed that her statement should always without exception, be taken as gospel truth.

The essence of this verdict which has stood the test of time proclaims that though generally the testimony of a victim of rape or non- consensual physical assault ought to be accepted as true and unblemished, it would still be subject to judicial scrutiny lest a casual, routine and automatic acceptance thereof results in unwarranted conviction of the person charged.

In this case Hon'ble Apex Court held that Where the prosecutrix of the offence of gang rape and abduction had made inconsistent statements and her conduct after the alleged gang rape was also dubious and the medical opinion had belied allegation of gang rape, the Supreme Court held that the plea of false implication cannot be discarded. The conviction of the accused persons for the offences u/s 376(2)(g), 366, 392 read with Section 34 of the IPC was set aside.

यहां पर विवेचक नोवेन्द्र सिंह पी०डब्लू०–5 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया गया बयान भी महत्वपूर्ण है। इस साक्षी ने अपनी जिरह मे यह कथन किया गया है कि दौरान विवेचना मेरे द्वारा पीड़िता पी०डब्लू०–1 का 161 सी०आर०पी०सी० में बयान तीन बार लिखा गया। दिनांक–01.07.2016 को मेरे द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। पेपर सं०– अ 6/3 देखकर कहा कि यह लोग अमराई गांव आये तो सिर्फ वीरेन्द्र तिवारी ने जबरदस्ती उसके साथ बुरा काम किया। संजय तिवारी द्वारा बुरा काम व बलात्कार करने का कोई साक्ष्य अथवा बयान पीड़िता पी०डब्लू०–1 द्वारा नहीं कहा गया है, न किसी प्रकार के गर्भ गिरने व गिराने की बात पीड़िता द्वारा बतायी गयी है। पीड़िता ने अपने बयान में आठ अप्रैल 2016 को घर से जबरन निकालने की बात कही गयी है। दिनांक–18.09.2016 को अपने दूसरे 161 सी०आर०पी०सी० के बयान में यह कहा है कि वीरेन्द्र तिवारी मुझसे शादी को तैयार हो गया और मुझसे चन्द्रिका देवी मंदिर में सिंदूर भरकर शादी कर ली

और अपने साथ रखने लगा। दिनांक–30.09.16 को मैंने पीड़िता का तीसरा बयान दर्ज किया। उसमें पीड़िता ने मुझे बताया कि लगभग तीन महीने बाद मैं जीने से गिर पड़ी थी, तो मुझे ब्लीडिंग होने लगी थी और लगभग तीन महीने का बच्चा खराब हो गया था, मैने न किसी को बताया, न मैंने इलाज कराया। यह बात सही है कि दिनांक–01.07.2016 को पहला बयान दर्ज होने के बाद सैंतालीस दिन बाद दिनांक–17.08.16 को 164 दं०प्र०सं० का बयान दर्ज हुआ। कतिपय कारणवश अथवा उसके न मिलने के कारण बयान दर्ज नहीं हुए। पीड़िता ने उसे बताया था कि वह बेहोश हो गयी थी और दोनो मुल्जिमानो के बताने पर पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। पीड़िता को बलात्कार का न कोई ज्ञान है, न कोई आभास है। मैंने मोहल्ले के दो लोगो का बयान लिया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता व वीरेन्द्र तिवारी इसमें रहते थे। मेरे द्वारा कोई आपत्तिजनक वस्तु सम्पूर्ण विवेचना में नहीं बरामद की गयी। दौरान तफ्तीश अन्सार द्वारा पीड़िता से कोई भी बलात्कार करने का न समय है, न पुष्टि है।

अभियुक्त वीरेन्द्र तिवारी की ओर से की गई जिरह मे इस साक्षी ने यह कथन किया है कि तहरीर में घटना का दिनांक व समय नहीं लिखा है। वादिनी ने अपना पता अमराई गांव लिखवाया है। पीड़िता पीड़िता और वीरेन्द्र तिवारी दोनो बाराबंकी निवासी है। यह बात वादिनी ने मुझे बतायी थी कि वादिनी वीरेन्द्र तिवारी के साथ लिविन रिलेशन में रह रही थी तथा पीड़िता व वीरेन्द्र तिवारी को टीका व दक्षिणा पीड़िता की मां करती थी। पीड़िता की उम्र लगभग पैंतीस–सैंतीस साल थी और वह अविवाहित थी। वादिनी ने अपनी तहरीर में स्वयं लिखा है कि वीरेन्द्र तिवारी ने शादी का स्वांग रचाया और उसके बाद वीरेन्द्र तिवारी के अमराई गांव मकान में रहने लगे। वादिनी ने दो–ढ़ाई वर्ष वीरेन्द्र तिवारी के अमराई गांव में संबंधो में साथ रहना बताया। वादिनी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, कभी जमीन से संबंधित कभी कोई अभिलेख देखने को नहीं मिला। वादिनी ने यह बात बतायी थी कि वीरेन्द्र तिवारी स्वयं गाड़ी चलाकर उसे मायके छोड़कर स्वयं अपने घर चले जाते थे और लौटते समय वादिनी के मायके में भोजन कर वादिनी को लेकर वापस लखनऊ आ जाते थे। मेडिकल प्रपत्र में वादिनी के एनेस एंड माउथ निल है। यह कहना सही है कि लिविंग रिलेशन में 342 के अपराध का साक्ष्य जब वादिनी वीरेन्द्र तिवारी के साथ स्वयं मैके व मैके से वापस आती हो तो 342 का अपराध नहीं बनता है। जितने दिन वादिनी, वीरेन्द्र तिवारी के लिविन के संबंध में थी, तब तक पीड़िता के भाई अथवा माता ने कोई एफ०आई०आर०, शिकायत वीरेन्द्र तिवारी के विरूद्ध नहीं लिखायी, क्योंकि उन्हें पीड़िता द्वारा अपने और वीरेन्द्र तिवारी लिविन रिलेशनसिप वाली बात परिवार को बता दी। यह सही है कि कोई चोट पीड़िता के शरीर पर नहीं मिली। जो कथन पीड़िता का दर्ज है, उस पर पीड़िता के हस्ताक्षर और निशानी अंगूठा, उस पेज पर नहीं है, यह शरीर है कि पीड़िता के मेडिकल में कोई अप्राकृतिक यौन संबंध की बात नहीं है। मेडिकल रिकार्ड में घटना तीन माह पुरानी लिखायी गयी। पीड़िता ने जो आरोप अभियुक्त पर अपनी चोटो को कारित करने की बतायी थी, वह पैरा–16 में समस्त इक्जामीनेशन में लिखा है कि सिर से लेकर पूरे शरीर में कहीं पर कोई चोट या खरोंच नहीं पायी गयी तथा कालम 18 में आन्तरिक परीक्षण में A इन्ट्री नार्मल

ओल्ड टोन लिखा है तथा एनेल सरफेस को नार्मल होना लिखा है तथा पैरा –19 में सामान्य व्यवहार लिखा है। कोई डी०एन०ए० टेस्ट रिपोर्ट दौरान विवेचना मुझे प्राप्त नहीं हुयी। आरोप पत्र एफ०आई०आर० व 164 सी०आर०पी०सी० के बयान व गवाहान के बयान पर मैंने आरोप पत्र दाखिल किया। यह कहना सही है कि मैंने पीड़िता, उसकी मां, उसके भाई तथा पड़ोसियों के बयान कि वीरेन्द्र तिवारी व पीड़िता लिविन रिलेशनसिप मे सालो से हैं, मैने आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

अभियोजन साक्षी सं०–3 डा० स्मिता राय, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किया है कि पीड़िता ने जन्मतिथि दिनांक–21.01.1978, उम्र 38 साल बताया थी। पीड़िता का एक वर्ष पहले एक अबार्सन हो चुका है और टीके लगे थे या नहीं मुझको जानकारी नहीं है। पीड़िता के अनुसार उसके ऊपर कोई चोट या निशान नहीं छोड़े। पीड़िता के अनुसार वजाइना में Penetration हुआ था, अप्राकृतिक Penetration नहीं हुआ। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं था।

अपनी जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया कि पीड़िता ने अपना हाल पता अमराई गांव, जो उसने लिखाया है, उसी के आधार पर मैंने लिखा है। एफ०आई०आर० देखकर उससे पूछा था, तो उसने स्वयं बताया कि मेरे साथ कोई अप्राकृतिक सेक्स नहीं हुआ है। यह बात पीड़िता ने मुझे बतायी थी कि अमराई गांव, इंदिरानगर लखनऊ में रहती है और वह अपने मैके वीरेन्द्र तिवारी के साथ आती–जाती है। यह कहना सही है कि पीड़िता ने जो हिस्ट्री मुझे बतायी उसके संबंध में मैंने उसका बाह्य परीक्षण किया कोई मार्क आफ वाइलेन्स की चोटे नहीं पायी, कोई निशान भी मुझे नहीं मिला। मैंने केवल हाइमन परीक्षण किया और सैम्पल इकट्ठा करके जांच के लिये भेज दिया। मैंने कोई सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट इस संबंध में नही दी। हाइमन ओल्ड–टोन्ड था, कोई इंजरी नहीं थी, कोई खरोंच के निशान नहीं थे।

26. इस प्रकार समस्त अभियोजन साक्षियो व पीड़िता द्वारा दिये गये साक्ष्य व समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो का मूल्यांकन करने से यह न्यायालय इस अभिमत का है अभियोजन यह साबित करने मे पूर्णतया विफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को अच्छा प्लाट दिलाने का आश्वासन देकर अमराई गांव के प्लाट नं०–26 श्याम नगर कालोनी शहीद भगत सिंह वार्ड, थाना–इंदिरानगर, लखनऊ में ले जा कर उसकी इच्छा एवं सम्मति के बिना सामान्य आशय के अग्रसरण में बारी–बारी मैथुन गठित कर सामूहिक बलात्कार या किसी भी अभियुक्त द्वारा बलात्कार कारित किया गया हो, यह भी साबित करने मे पूर्णतया विफल रहा कि अभियुक्तगणो ने, पीड़िता के साथ प्रकृति विरूद्ध बलात्संग कारित किया, वादिनी मुकदमा/पीड़िता की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उसके कपड़े फाड़े, जबरन निरूद्ध रखा, वादिनी मुकदमा/पीड़िता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया या जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

27. In State of Gujarat Vs. J.P. Varu reported in 2016 Cr.L.J 4185 (Supreme Court) it has been propounded by the Supreme Court that, the burden of proof in criminal law is beyond all reasonable doubt. The prosecution has to prove the guilt of

the accused beyond all reasonable doubt and it is also the rule of justice in criminal law that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other towards his innocence, the view which is favorable to the accused should be adopted.

28. In AIR 2013 SUPREME COURT 3150, Raj Kumar Singh alias Raju alias Batya v. State of Rajasthan Hon,ble Supreme Court held that "Suspicion, however grave it may be, cannot take place of proof and there is a large difference between something that 'may be' proved and 'will be proved'. In a criminal trial, suspicion no matter how strong, cannot and must not be permitted to take place of proof. This is for the reason, that the mental distance between 'may be' and 'must be' is quite large and divides vague conjectures from sure conclusions. In a criminal case, the Court has a duty to ensure that mere conjectures or suspicion do not take the place of legal proof. The large distance between 'may be' true and 'must be' true, must be covered by way of clear, cogent and unimpeachable evidence produced by the prosecution, before an accused is condemned as a convict, and the basic and golden rule must be applied. In such cases, while keeping in mind the distance between 'may be' true and 'must be' true, the Court must maintain the vital distance between conjectures and sure conclusions to be arrived at, on the touchstone of dispassionate judicial scrutiny based upon a complete and comprehensive appreciation of all features of the case, as well as the quality and credibility of the evidence brought on record. The Court must ensure, that miscarriage of justice is avoided and if the facts and circumstances of a case so demand, then the benefit of doubt must be given to the accused, keeping in mind that a reasonable doubt is not an imaginary, trivial or a merely probable doubt, but a fair doubt that is based upon reason and common sense."

29. यह अभियोजन पर साक्ष्य का भार है कि वह विश्वसनीय साक्षीगण के बयानो से अभियुक्तगणो पर लगाये गये आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करे, अन्यथा की दशा में अभियोजन साक्ष्य मात्र संदेह उत्पन्न कर सकता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह संदेह उत्पन्न करता है कि इस प्रकार की घटना घटित हुई होगी, किन्तु संदेह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। वर्तमान में यह सुस्थापित विधि है कि मात्र शक के आधार पर किसी भी अपराधी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **वी0 यन 0 राठीश बनाम केरला राज्य** 2006 56 **एस.सी.सी.** 219 में अवधारित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि अभियुक्तगण द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे उन पर आरोपित अपराधों का कारित किया जाना साबित होता हो।

30. अतः उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्तगण **वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी, मो० अन्सार** के विरुद्ध लगाये गये आरोप अं०धारा– **धारा–376D, 377, 354 बी, 342/34, 323, 506(2) भा०दं०सं०** युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। तद्नुसार अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण **वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी, मो०**

अन्सार के विरुद्ध साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी, मो० अन्सार** उपरोक्त धाराओं में **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **वीरेन्द्र तिवारी, संजय तिवारी, मो० अन्सार** को **सत्र परीक्षण संख्या–481/2017**, **मु०अ०सं०–**270/16, थाना–इन्दिरा नगर, जिला लखनऊ के प्रकरण में लगाये गये आरोपो अं० **धारा–376D, 377, 354बी, 342/34, 323, 506(2) भा०दं०सं०** से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण उन्मोचित किये जाते हैं।

अभियुक्तगण (प्रत्येक) अर्न्तगत धारा–437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में **बीस हजार रूपये** की **दो प्रतिभू** अंदर दस दिवस न्यायालय में दाखिल करें तथा अभियुक्तगण (प्रत्येक) **बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र आज ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

दिनांक–14.08.2026

(नीरज कुमार बरनवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०–14 लखनऊ

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–14.08.2026

(नीरज कुमार बरनवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०–14 लखनऊ

(आदित्य चौधरी/आशुलिपिक)

Niraj Kumar Baranwal
ADJ Court No. 14 Lucknow

Digitally signed by NIRAJ KUMAR BARANWAL
Date: 2026.08.14 11:51:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court